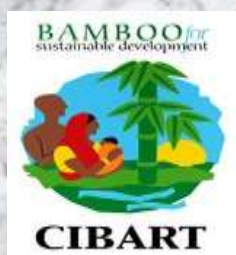


युवा सेवाएं एवं खेल विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा बहुउद्देशीय खेल परिसर परियोजना के लिए जिला हमीरपुर के गांव डोली घराना के सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन की अंतिम आख्या

प्रयोजक

सामाजिक प्रभाव आंकलन इकाई,
एम.एस.एच.आई.पी.ए.-फेयरलान्स, शिमला-12



सिबार्ट और अग्रिमा द्वारा प्रस्तुत
डी-152, थर्ड फ्लोर, वेस्ट विनोद नगर
दिल्ली-110092
जुलाई 2025

प्राक्कथन

भारत में दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी है, जिसमें लगभग 65% लोग 35 वर्ष से कम आयु के हैं। इस विशाल युवा शक्ति का दोहन करने के लिए, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। मंत्रालय युवाओं के व्यक्तित्व को निखारने, उनके कौशल को निखारने और देश में एकता को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएँ चला रहा है। इसी कड़ी में, हिमाचल प्रदेश सरकार खेलों और युवाओं के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए "ज़िला हमीरपुर हिमाचल प्रदेश" में एक "बहुउद्देशीय खेल परिसर" का निर्माण कर रही है।

इस दिशा में, युवा सेवाएँ एवं खेल विभाग ने नादौन तहसील के डोली घराना गाँव में "बहुउद्देशीय खेल परिसर" के लिए भूमि अधिग्रहण सुनिश्चित कर लिया है। यह रिपोर्ट "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013" (भारत का असाधारण राजपत्र भाग-II, खंड-I, 27 सितंबर 2013) और भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार (हि.प्र.) नियम, 2015 के अनुसार तैयार की गई है। भारत सरकार द्वारा अधिग्रहण से पहले प्रभावित भूमि स्वामियों का सामाजिक प्रभाव आकलन अध्ययन करना अनिवार्य किया गया है। तदनुसार, सामाजिक प्रभाव आकलन इकाई, एमएसएचआईपीए-फेयरलॉन्स, शिमला-12 के अनुरोध पर, सिबार्ट और अग्रिमा संस्थान द्वारा डोली घराना, तहसील नादौन गाँव का सामाजिक प्रभाव आकलन अध्ययन पूरा किया गया।

मैं इस सामाजिक प्रभाव अध्ययन को पूरा करने के लिए CIBART और AGRIMAA संस्थान को नामित करने के लिए सामाजिक प्रभाव आकलन इकाई, MSHIP-फेयरलॉन्स, शिमला-12 के प्रति आभार व्यक्त करना चाहूँगा। मैं इस अध्ययन को पूरा करने में उनके बहुमूल्य सहयोग के लिए डॉ. निशा त्रिपाठी, डॉ. संतोष शर्मा, श्रीमती के. रत्ना, सुश्री आकांक्षा और डॉ. क्षितिज मल्होत्रा का भी धन्यवाद करना चाहूँगा। साथ ही श्री राकेश कुमार शर्मा (एसडीएम), श्री राजेंद्र सिंह (कार्यकारी अभियंता लोक निर्माण विभाग), श्री रफीक मोहम्मद (कार्यालय कानूनगो), श्री वेद प्रकाश (नायब तहसीलदार), श्री अनिल कुमार (क्षेत्र कानूनगो), श्री विनोद कुमार (पटवारी) और श्री शुभम कालिया (कनिष्ठ अभियंता) का भी धन्यवाद करना चाहूँगा।

अंत में, मैं रिकॉर्ड बनाए रखने और रिपोर्ट को अंतिम रूप देने में उनके सहयोग के लिए श्रीमती नमिता का भी धन्यवाद करना चाहूँगा।

जुलाई 2025

राजेश कुमार
शोधकर्ता
(परियोजना समन्वयक)

संक्षिप्तीकरण की सूची

एच.पी.आर.टी.एफ.सी.टी.एल.एआर.आर. - हिमाचल प्रदेश उचित मुआवजे का अधिकार और भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में पारदर्शिता नियम, 2015

एच.पी.पी.डब्ल्यू.डी- हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग

पी.ए.एफ. - परियोजना प्रभावित परिवार

पी.ए.पी.- परियोजना प्रभावित लोग

आर.टी.एफ.सी.टी.एल.एआर.आर- भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित मुआवजे और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013

आर एंड आर- पुनर्वास और पुनर्स्थापन

एस.आई.ए- सामाजिक प्रभाव आकलन प्राधिकरण

एस.आई.एम.पी- सामाजिक प्रभाव प्रबंधन योजना

विषयसूची

शीर्षक	पृष्ठ संख्या
कार्यकारी सारांश	7
अध्याय 1	परियोजना का विवरण
	1.1 परियोजना पृष्ठभूमि
	1.1.1 नादौन - एक अवलोकन
	1.1.2 अंतरराज्यीय/अंतर्राष्ट्रीय पहलू
	1.1.3 डेवलपर्स की पृष्ठभूमि
	1.2 परियोजना स्थान और विवरण
	1.3 क्षमता और उत्पादन
	1.4 विकल्पों की जाँच
	1.4.1 परियोजना निर्माण के चरण
	1.4.2 मुख्य डिज़ाइन विशेषताएँ, आकार और सुविधाओं के प्रकार
	1.5 लागू कानून और नीतियाँ
	1.6 सामाजिक प्रभाव आकलन अध्ययन की तैयारी
	1.6.1 भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया
	1.6.2 भूमि अधिग्रहण, पुनर्वासन और पुनर्स्थापन में उचित मुआवज़ा और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (RTFCTLARR अधिनियम, 2013)
	1.6.3 हिमाचल प्रदेश भूमि अधिग्रहण, पुनर्वासन और पुनर्स्थापन में उचित मुआवज़ा और पारदर्शिता का अधिकार (सामाजिक प्रभाव आकलन और सहमति) नियम, 2015 (हिमाचल प्रदेश RTFCTLARR नियम 2015), हिमाचल प्रदेश RTFCTLARR नियम 2015
अध्याय 2	सामाजिक प्रभाव आकलन के लिए टीम संरचना, दृष्टिकोण, कार्यप्रणाली और अनुसूची
	2.1 टीम विवरण
	2.2 कार्यप्रणाली और प्रयुक्त उपकरणों का विवरण और औचित्य
	2.3 दृष्टिकोण और कार्यप्रणाली
	2.4 कार्यप्रणाली का औचित्य
	2.5 सामाजिक प्रभाव आकलन के लिए जानकारी एकत्र करने के उपकरण
	2.6 नमूनाकरण कार्यप्रणाली
	2.7 प्रयुक्त जानकारी और डेटा स्रोतों का अवलोकन
	2.8 प्रमुख हितधारकों के साथ परामर्श की अनुसूची और आयोजित जन सुनवाई का संक्षिप्त विवरण
	2.9 कार्य और समय का विवरण
अध्याय 3	भूमि मूल्यांकन
	3.1 भूमि सूची और प्राथमिक स्रोतों से जानकारी
	3.2 भूमि के प्रकार
	3.3 भूमि का उपयोग
	3.4 परियोजना के प्रभाव में संपूर्ण प्रभाव क्षेत्र
	3.5 परियोजना के लिए अधिग्रहण का दायरा और कुल भूमि आवश्यकता
	3.6 क्षेत्र के आसपास की किसी भी सार्वजनिक, अप्रयुक्त भूमि का वर्तमान उपयोग
	3.7 परियोजना के लिए आवश्यक प्रत्येक भूखंड के लिए पहले से खरीदी गई, हस्तांतरित, पट्टे पर दी गई/अधिग्रहित भूमि और इच्छित उपयोग
	3.8 भूमि का वर्गीकरण, प्रकृति और वर्तमान उपयोग
	3.9 जोतों का आकार, स्वामित्व पैटर्न

	3.10 भूमि वितरण और अधिग्रहित किए जा रहे आवासीय घरों की संख्या	31
अध्याय 4	प्रभावित परिवारों और संपत्तियों का अनुमान और गणना	32
	4.1 प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित व्यक्ति और उनकी आजीविका	32
	4.2 किरायेदार/कब्जाधारी	33
	4.3 साझा संपत्ति संसाधनों (सीपीआर) पर निर्भरता	33
	4.4 अनुसूचित जनजातियाँ और पारंपरिक वनवासी	33
	4.5 आवंटित भूमि राज्य सरकार द्वारा	34
अध्याय 5	सामाजिक-आर्थिक और सांस्कृतिक प्रोफाइल	34
	5.1 परियोजना क्षेत्र में परियोजना प्रभावित लोगों की जनसांख्यिकीय प्रोफाइल	34
	5.1.1 परियोजना प्रभावित लोगों की विशेषताएँ	35
	5.1.1.1 लिंग	35
	5.1.1.2 धर्म	35
	5.1.1.3 जाति वर्ग	35
	5.1.1.4 आयु	35
	5.2 परियोजना प्रभावित लोगों की साक्षरता	36
	5.3 व्यवसाय और आय	37
	5.3.1 व्यवसाय	37
	5.3.2 आय	37
	5.4 कमजोर समूह	38
	5.5 नातेदारी पैटर्न	38
	5.6 प्रशासनिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और नागरिक समाज संगठन	38
	5.6.1 प्रशासनिक ढाँचा	39
	5.6.2 सांस्कृतिक विचार	39
	5.6.3 नागरिक समाज संगठन	40
	5.7 क्षेत्रीय गतिशीलता और ऐतिहासिक परिवर्तन प्रक्रियाएँ	40
	5.8 रहने के वातावरण की गुणवत्ता	40
	5.8.1 घरों के प्रकार	40
	5.8.2 बिजली कनेक्शन की उपलब्धता	41
	5.8.3 पेयजल के स्रोत	41
	5.8.4 सिंचाई के स्रोत	41
	5.8.5 शौचालयों की उपलब्धता	41
	5.8.6 रसोई की उपलब्धता	42
	5.8.7 खाना पकाने के लिए प्रयुक्त ईंधन	42
	5.8.8 ऋणग्रस्तता की स्थिति	42
	5.8.9 ऋण का उद्देश्य	42
	5.8.10 राशन कार्ड	43
	5.8.11 चिकित्सा सुविधा	43
	5.8.12 बहुउद्देशीय खेल परिसर परियोजना के निर्माण संबंधी जानकारी	43
	5.8.13 अधिग्रहित की जाने वाली भूमि की श्रेणी	43
	5.8.14 भूमि अधिग्रहण की सहमति	43
	5.8.15 भूस्वामियों द्वारा बताई गई वे शर्तें और नियम जिन पर वे भूमि देने के लिए सहमत हैं, वे हैं:	44
	5.8.16 परियोजना के प्रतिकूल प्रभाव	44
अध्याय 6	सामाजिक प्रभाव	45

	6.1 प्रभावों की पहचान के लिए रूपरेखा और दृष्टिकोण	45
	6.2 परियोजना के विभिन्न चरणों में प्रभावों का विवरण	46
	6.3 समूह चर्चा के माध्यम से परियोजना प्रभावितों द्वारा अनुभव किए गए प्रभाव	48
	6.4 परियोजना के बारे में जागरूकता	48
	6.5 परियोजना के लिए सहमति	48
	6.6 मुआवज़ा प्राथमिकताएँ	49
अध्याय 7	लागत और लाभ विश्लेषण: अधिग्रहण संबंधी अनुशंसाएँ	51
	7.1 परियोजना से सार्वजनिक उद्देश्य का आकलन	51
	7.2 कम विस्थापन विकल्प और न्यूनतम भूमि आवश्यकता	52
	7.3 सामाजिक प्रभावों की प्रकृति और तीव्रता	53
	7.4 सुझाए गए शमन उपायों की व्यवहार्यता	54
	7.4.1 अंतिम अनुशंसा	55
अध्याय 8	सामाजिक प्रभाव प्रबंधन योजना	57
	8.1 प्रभावों से बचने, उन्हें कम करने और क्षतिपूर्ति करने के उपाय	57
	8.2 अधिनियम 2013 के अनुसार पुनर्वास और पुनर्स्थापन तथा क्षतिपूर्ति में शामिल उपाय	58
	8.3 SIMP कार्यान्वयन हेतु परीचय	60
	संदर्भ	63
अनुलग्नक क	भूमि स्वामियों की सूची	64
अनुलग्नक ख	क्षेत्र भ्रमण की तस्वीरें	65
अनुलग्नक ग	जन सुनवाई की तस्वीरें	68
अनुलग्नक घ	परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण से प्रभावित गाँवों में सामाजिक प्रभाव आकलन प्रभावित परिवारों के लिए अनुसूची	73

कार्यकारी सारांश

अध्याय 1: परियोजना का विवरण और कानूनी ढाँचा

हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर ज़िले के नादौन स्थित डोली घराना में प्रस्तावित बहुउद्देशीय खेल परिसर, युवा सेवा एवं खेल विभाग के अंतर्गत एक बुनियादी ढाँचा विकास पहल है, जिसका क्रियान्वयन हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जा रहा है। इस परियोजना का उद्देश्य खेलों में युवाओं की भागीदारी को बढ़ावा देना, स्थानीय पर्यटन को बढ़ावा देना और सामुदायिक कल्याण में सुधार करना है।

इस परियोजना में सरकारी और निजी दोनों प्रकार की भूमि का अधिग्रहण शामिल है। RFCTLARR अधिनियम, 2013 और हिमाचल प्रदेश RFCTLARR नियम, 2015 के अनुपालन में, भूमि अधिग्रहण से पहले एक सामाजिक प्रभाव आकलन (SIA) अनिवार्य किया गया था। यह कार्य SIAU HIPA द्वारा CIBART और AGRIMAA संस्थान, दिल्ली को सौंपा गया है, जिन्होंने हितधारकों के परामर्श और क्षेत्र-स्तरीय डेटा संग्रह के बाद यह रिपोर्ट तैयार की है।

अध्याय 2: सामाजिक प्रभाव आकलन की टीम संरचना, दृष्टिकोण, कार्यप्रणाली और अनुसूची

सामाजिक वैज्ञानिकों, क्षेत्र सर्वेक्षणकर्ताओं और विषय विशेषज्ञों की एक बहु-विषयक टीम ने यह अध्ययन किया। प्रभावित परिवारों और स्थानीय हितधारकों के साथ सीधे संपर्क के माध्यम से प्राथमिक आँकड़े एकत्र किए गए, जिससे संभावित प्रभावों की प्रासंगिक समझ प्राप्त हुई। परिवार सर्वेक्षण व्यवस्थित रूप से किया गया और 10 जून, 2025 को संबंधित विभाग द्वारा चिन्हित अधिसूचित क्षेत्र को कवर करते हुए आयोजित किया गया। निर्णय लेने की प्रक्रिया में पारदर्शिता और सामुदायिक भागीदारी सुनिश्चित करते हुए, आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार 11 जुलाई, 2025 को एक जन सुनवाई सफलतापूर्वक आयोजित की गई। यह कार्यक्रम हिमाचल प्रदेश के नादौन स्थित स्थानीय नगर परिषद कार्यालय में आयोजित किया गया और इसकी अध्यक्षता नादौन के उप-मंडल मजिस्ट्रेट (एसडीएम) ने की। व्यापक जन जागरूकता सुनिश्चित करने के लिए, स्थानीय समाचार पत्रों के माध्यम से पूर्व सूचना प्रसारित की गई और पूरे शहर में प्रमुख स्थानों पर सूचनात्मक पोस्टर प्रदर्शित किए गए।

सामाजिक प्रभाव आकलन का उद्देश्य सामाजिक प्रभावों के पैमाने और दायरे का आकलन करना, प्रभावित व्यक्तियों पर पड़ने वाले प्रभाव का निर्धारण करना और सामाजिक प्रभाव प्रबंधन योजना (एसआईएमपी) के माध्यम से एक शमन रणनीति तैयार करना था।

अध्ययन में एक संरचित पद्धति का पालन किया गया, जिसमें शामिल हैं:

- आधिकारिक रिपोर्टों और जनगणना के आंकड़ों से द्वितीयक शोध।
- पूर्व-परीक्षणित संरचित प्रश्नावली का उपयोग करके प्राथमिक सर्वेक्षण।
- क्षेत्र भ्रमण, हितधारक परामर्श और जन सुनवाई।
- सटीकता सुनिश्चित करने के लिए डेटा सत्यापन और जमीनी सत्यापन।

अध्याय 3: भूमि मूल्यांकन

यह परियोजना नगर पंचायत नादौन के अंतर्गत आती है, जिसका क्षेत्रफल 5.93 वर्ग किलोमीटर है और इसमें 2,955 घर और 268 व्यावसायिक इकाइयाँ हैं। यह क्षेत्र अर्ध-शहरी है, जहाँ जनसंख्या घनत्व मध्यम है और आर्थिक गतिविधियाँ विविध हैं।

अधिग्रहण के लिए चिन्हित भूमि में से 7561-06 वर्ग डेसी मीटर निजी स्वामित्व वाली है। केवल एक परिवार (श्री लाल चंद) सीधे तौर पर प्रभावित है, जिसे शारीरिक विस्थापन और आजीविका में व्यवधान का सामना करना पड़ सकता है। इस भूमि में आवासीय संरचनाएँ, सीपीआर (जैसे, पानी की टंकियाँ, बिजली के खंभे, पेड़) शामिल हैं, और वर्तमान में इसका उपयोग आवासीय और कृषि उद्देश्यों के लिए किया जाता है।

यह भूमि किसी भी राज्य-वितरित योजना के अंतर्गत नहीं है, और व्यापक समुदाय को परियोजना के बारे में पहले से ही स्पष्ट निर्माण और संकेतों के कारण जानकारी थी।

यह ज़मीन श्री लाल चंद के स्वामित्व में है, जो खेल परिसर के नियोजित स्थल के पास एक संलग्न भूखंड पर रहते हैं। उनकी आजीविका के प्राथमिक स्रोत स्वरोजगार और कृषि गतिविधियाँ हैं। इस प्रकार, इस अधिग्रहण से भौतिक विस्थापन हो सकता है और उनकी आवासीय सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

अध्याय 4: प्रभावित परिवारों और संपत्तियों का आकलन और गणना

इस मंच ने सरकारी अधिकारियों और सामुदायिक हितधारकों के बीच खुले संवाद का अवसर प्रदान किया, जिससे प्रस्तावित परियोजना पर विचारों, सुझावों और प्रतिक्रियाओं का आदान-प्रदान संभव हुआ।

फोकस समूह चर्चाओं और क्षेत्र-स्तरीय बातचीत में मिली-जुली प्रतिक्रियाएँ सामने आईं—बुनियादी ढाँचे के विकास की सराहना, लेकिन विस्थापन, मुआवज़े और आजीविका पर पड़ने वाले प्रभावों को लेकर चिंताएँ।

अध्याय 5: सामाजिक-आर्थिक और सांस्कृतिक प्रोफ़ाइल

परियोजना क्षेत्र में परियोजना प्रभावित लोगों की जनसांख्यिकीय प्रोफ़ाइल से पता चला कि उनमें से अधिकांश पेंशनभोगी हैं, इसके बाद निजी नौकरीपेशा, स्व-रोजगार और किसान हैं। शिक्षा के स्तर की दृष्टि से प्रभावित लोग निरक्षर से लेकर स्नातकोत्तर तक भिन्न-भिन्न हैं, हालाँकि, कई लोगों ने कम से कम हाई स्कूल स्तर की शिक्षा प्राप्त की है। आय वितरण के आँकड़े एक विविध आर्थिक परिदृश्य को दर्शाते हैं, जहाँ विभिन्न आय वर्गों में फैले व्यक्ति हैं। प्रभावित भूमि मालिकों में से 46.15 प्रतिशत (कुल 6) की आय 10,001 रुपये से 20,000 रुपये के बीच है और 7.09 (कुल 1) प्रतिशत की आय 0.5 लाख रुपये से अधिक है। सर्वेक्षण के दौरान सामाजिक स्थिति से पता चला कि 100.00 प्रतिशत प्रभावित भूमि मालिकों के पास पेयजल, बिजली, एपीएल राशन कार्ड थे और अधिकांश के पास पक्का घर, रसोई, शौचालय और सिंचाई की सुविधा थी।

अध्याय 6: सामाजिक प्रभाव आकलन

सामाजिक प्रभाव आकलन (SIA) ने निम्नलिखित की पहचान की:

- प्रत्यक्ष प्रभाव: एक परिवार को संभावित विस्थापन और आजीविका में व्यवधान का सामना करना पड़ता है।
- अप्रत्यक्ष प्रभाव: सीपीआर की उपस्थिति और भूमि के साझा उपयोग के कारण आजीविका पर।

- पर्यावरणीय चिंताएँ: निर्माण के दौरान धूल, शोर और तूफानी जल का बहाव।

सकारात्मक प्रभावों में रोज़गार सृजन, शारीरिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देना और खेल एवं पर्यटन गतिविधियों में वृद्धि के माध्यम से आर्थिक उत्थान शामिल हैं।

समुदाय की राय सुनिश्चित करने के लिए हितधारकों के साथ परामर्श किया गया। 11 जुलाई, 2025 को नादौन के एसडीएम के नेतृत्व में एक जन सुनवाई हुई। इसमें स्थानीय समुदाय के सदस्यों, पंचायत अधिकारियों और सरकारी विभागों के साथ-साथ प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों ने भी भाग लिया। कुल मिलाकर राय मिली-जुली थी - निवासियों ने संभावित लाभों की सराहना की, लेकिन विस्थापन और मुआवजे को लेकर चिंताएँ भी व्यक्त कीं।

सर्वेक्षण के दौरान भी, 43% लोगों ने कहा कि उन्हें प्रस्तावित अधिग्रहण पर कोई आपत्ति नहीं है, जबकि दूसरी ओर 57% लोगों ने प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण के प्रति अपनी अनिच्छा व्यक्त की। वे सभी एसआईए प्रक्रिया से अवगत हैं। वे बाजार मूल्य में वृद्धि की माँग कर रहे हैं और दूसरे क्षेत्र में पुनर्वास की भी माँग कर रहे हैं।

वरिष्ठ नागरिकों और स्थानीय श्रमिकों सहित हितधारकों के साथ चर्चा में भूमि स्वामित्व, आजीविका के नुकसान के डर और उचित मुआवजे और पुनर्वास की अपेक्षाओं के बारे में चिंताएँ सामने आईं।

अध्याय 7: लागत और लाभ विश्लेषण: अधिग्रहण संबंधी सुझाव

यह परियोजना निवेश पर उच्च सामाजिक प्रतिफल प्रदान करती है, जिसमें बेहतर खेल सुविधाएँ, रोज़गार के अवसर, पर्यटन में वृद्धि और "पे एंड प्ले" मॉडल के माध्यम से राज्य का राजस्व शामिल है। सामाजिक लागतों—मुख्यतः सीमित विस्थापन—को निष्पक्ष और समावेशी पुनर्वास प्रक्रियाओं के माध्यम से प्रभावी ढंग से कम किया जा सकता है।

परियोजना के पैमाने और लाभों को ध्यान में रखते हुए, यह निष्कर्ष निकाला गया है कि इस भूमि की आवश्यकता बहुत कम है और इस पहल के सफल कार्यान्वयन के लिए आवश्यक है। भूमि का यह छोटा सा क्षेत्र, जो सावधानीपूर्वक चुना गया है, नियोजित बुनियादी ढाँचे के विकास के लिए महत्वपूर्ण है, जिसमें 8-लेन वाला स्विमिंग पूल, एक शूटिंग रेंज और कुश्ती, मुक्केबाजी, कबड्डी, योग, टेबल टेनिस और बैडमिंटन जैसे खेलों के लिए समर्पित स्थान और अन्य खेल सुविधाएँ शामिल हैं, जो खेल क्षेत्र, क्षमता और आर्थिक विकास को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाएँगी।

इस परियोजना के लाभ बहुआयामी हैं, जिनमें रोज़गार के अवसर पैदा करना, स्थानीय व्यवसायों को बढ़ावा देना, राज्य के राजस्व में वृद्धि और हिमाचल प्रदेश के खेल क्षेत्र में नादौन को एक प्रमुख केंद्र के रूप में रणनीतिक रूप से स्थापित करना शामिल है। ये परिणाम सतत और समावेशी क्षेत्रीय विकास के व्यापक लक्ष्यों के अनुरूप हैं।

हालाँकि, यह अनुशंसा की जाती है कि अधिग्रहण निकाय संभावित प्रभावों को कम करने और स्थानीय समुदाय के साथ सामंजस्य बनाए रखने के लिए निम्नलिखित सुनिश्चित करे।

अध्याय 8: सामाजिक प्रभाव प्रबंधन योजना (SIMP)

SIMP में निम्नलिखित प्रस्ताव हैं:

- **बचाव के उपाय:** अधिग्रहण को केवल आवश्यक भूमि क्षेत्र (7561-06 वर्ग डेसी मीटर) तक सीमित रखें।
- **शमन:** प्रदूषण नियंत्रण, यातायात संकेत, तूफानी जल प्रबंधन और सुरक्षित सामग्री प्रबंधन।
- **मुआवज़ा:** RFCTLARR अधिनियम के अनुसार उचित और समय पर मुआवज़ा, पुनर्वास सहायता और आजीविका की बहाली के साथ।
- **निगरानी:** अनुपालन ट्रेकिंग और नियमित सामाजिक लेखा परीक्षा के लिए एक स्वतंत्र एजेंसी की नियुक्ति।

चल रहे निर्माण और साइनेज के कारण अधिकांश स्थानीय लोग इस परियोजना से अवगत हैं। जहाँ कुछ लोगों ने चिंताएँ व्यक्त कीं, वहीं कई लोगों ने इस परिसर के दीर्घकालिक लाभों को स्वीकार किया। सर्वेक्षण के दौरान, 43% लोगों ने कहा कि उन्हें प्रस्तावित अधिग्रहण पर कोई आपत्ति नहीं है, वहीं दूसरी ओर 57% लोगों ने भूमि के प्रस्तावित अधिग्रहण के प्रति अपनी अनिच्छा व्यक्त की।

सिफ़ारिशें

क्षेत्रीय आंकड़ों के व्यापक विश्लेषण, हितधारकों के परामर्श और प्रभावित भूमि स्वामियों व सामुदायिक प्रतिनिधियों के साथ चर्चा के आधार पर, डोली घराना, नादौन में बहुउद्देशीय खेल परिसर के ज़िम्मेदारीपूर्ण कार्यान्वयन के समर्थन हेतु निम्नलिखित सिफ़ारिशें प्रस्तावित हैं:

1. जनहित औचित्य

यह परियोजना खेल अवसंरचना को बढ़ाकर, युवा विकास, युवा सहभागिता, स्वास्थ्य संवर्धन और क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देकर, सामुदायिक कल्याण में योगदान देकर एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक उद्देश्य की पूर्ति करती है। इसके दीर्घकालिक सामाजिक-आर्थिक लाभ इसके कार्यान्वयन को उचित ठहराते हैं, बशर्ते कि प्रभावित पक्षों के लिए उचित सुरक्षा उपाय सुनिश्चित किए जाएँ।

2. प्रभावित संपत्तियों का मूल्यांकन और मुआवज़ा

अधिग्रहण के लिए प्रस्तावित भूमि पर स्थित भौतिक संपत्तियों—जिनमें सिंचाई टैंक, पेड़, चारदीवारी और आवासीय संरचनाएँ शामिल हैं—का मूल्यांकन किसी सक्षम सरकारी प्राधिकारी

द्वारा किया जाना चाहिए। वैधानिक मानदंडों और तकनीकी मूल्यांकन दिशानिर्देशों के अनुसार उचित और समय पर मुआवज़ा प्रदान किया जाना चाहिए।

3. सामुदायिक और सरकारी संपत्तियों का संरक्षण

कोई भी सामुदायिक स्वामित्व वाला, सामाजिक या सरकारी बुनियादी ढाँचा जो आंशिक या पूर्ण रूप से प्रभावित हुआ है, उसका औपचारिक रूप से पंजीकरण, मूल्यांकन और मुआवज़ा दिया जाना चाहिए। बिजली के खंभों जैसी निर्माण गतिविधियाँ शुरू होने से पहले पुनर्वास या पुनर्स्थापना का काम पूरा कर लिया जाना चाहिए।

4. आजीविका पुनर्स्थापन

अध्ययन से कुछ प्रभावित भूस्वामियों, विशेष रूप से कृषि और स्वरोजगार पर निर्भर भूस्वामियों की आजीविका और सामाजिक-आर्थिक स्थिरता पर संभावित प्रतिकूल प्रभाव का पता चलता है। यह अनुशंसा की जाती है कि आय सहायता या कौशल विकास सहित आजीविका पुनर्स्थापन और पुनर्वास उपायों को परियोजना की कार्यान्वयन रणनीति में शामिल किया जाए।

5. कानूनी ढाँचे का अनुपालन

सभी मुआवज़ा, पुनर्वास और पुनर्स्थापन उपाय भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित मुआवज़ा और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013, हिमाचल प्रदेश नियम, 2015, और इस मूल्यांकन के भाग के रूप में विकसित सामाजिक प्रभाव प्रबंधन योजना (SIMP) के प्रावधानों के पूर्ण अनुपालन में किए जाने चाहिए।

6. सामुदायिक लाभों को अधिकतम करना

इस परियोजना से निर्माण चरण के दौरान अल्पकालिक रोज़गार और बेहतर बुनियादी ढाँचे व मनोरंजक सुविधाओं के माध्यम से दीर्घकालिक लाभ, दोनों ही उत्पन्न होने की उम्मीद है। समावेशिता और स्थानीय स्वामित्व को बढ़ाने के लिए रोज़गार और सेवा प्रावधान जैसे स्थानीय सहभागिता के अवसरों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

7. युवा विकास पर ध्यान

परियोजना के मुख्य उद्देश्य—एक बहुउद्देशीय खेल परिसर विकसित करना—को देखते हुए, यह पहल प्रशिक्षण, सुविधाओं और संगठित कार्यक्रमों तक पहुँच के माध्यम से युवाओं को दीर्घकालिक लाभ प्रदान करने के लिए उपयुक्त है। रणनीतिक कार्यक्रमों और आउटरीच के माध्यम से इस सकारात्मक सामाजिक प्रभाव को अधिकतम किया जाना चाहिए।

8. पारदर्शी भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया

भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया पारदर्शी, परामर्शात्मक और सहभागी तरीके से की जानी चाहिए। विश्वास निर्माण और सुचारू कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए भूमि मालिकों के साथ निरंतर संवाद, सूचना का प्रसार और शिकायत निवारण तंत्र आवश्यक होंगे।

अध्याय-1

परियोजना का विवरण

1.1 परियोजना पृष्ठभूमि

हिमाचल प्रदेश सरकार के युवा सेवा एवं खेल विभाग ने नादौन जिले के खरीदि मैदान में एक बहुउद्देशीय खेल परिसर के निर्माण हेतु हमीरपुर जिले के नादौन तहसील के मौजा कोहला, गाँव डोली घराना में अतिरिक्त भूमि अधिग्रहण का प्रस्ताव रखा है। प्रस्तावित भूमि का क्षेत्रफल लगभग 7561-06 वर्ग डेसी मीटर (लगभग 20 कनाल) है और इसमें अधिसूचना के अनुलग्नक 'क' में सूचीबद्ध कई खसरा संख्याएँ शामिल हैं। यह पहल समग्र विकास को बढ़ावा देने, युवाओं की भागीदारी बढ़ाने और सामाजिक समरसता में योगदान देने के साधन के रूप में एक मजबूत खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के राज्य के रणनीतिक उद्देश्य के अनुरूप है। जिला हमीरपुर, एक शिक्षा केंद्र होने के बावजूद, इस क्षेत्र में वर्तमान में पर्याप्त खेल बुनियादी ढाँचे का अभाव है। प्रस्तावित खेल परिसर विभिन्न खेल विधाओं में प्रतिभाओं की पहचान, प्रशिक्षण और विकास के लिए एक महत्वपूर्ण सुविधा के रूप में कार्य करेगा। इसे सार्वजनिक पहुँच को बढ़ावा देने और स्थायी राजस्व उत्पन्न करने के लिए "पे एंड प्ले" मॉडल के तहत भी परिकल्पित किया गया है। इस परियोजना से नादौन क्षेत्र में खेल और मनोरंजन सुविधाओं तक बेहतर पहुँच, युवाओं की भागीदारी में वृद्धि और सामुदायिक विकास सहित महत्वपूर्ण सामाजिक लाभ मिलने की उम्मीद है। सामाजिक प्रभाव आकलन हिमाचल प्रदेश भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित मुआवज़ा और पारदर्शिता का अधिकार (सामाजिक प्रभाव आकलन और सहमति) नियम, 2015 के अनुसार किया जा रहा है।

1.1.1 नादौन - एक अवलोकन

व्यास नदी के सुरम्य तट पर बसा नादौन अपनी प्राकृतिक सुंदरता और रणनीतिक भौगोलिक स्थिति के लिए जाना जाता है। प्रसिद्ध ज्वालामुखी मंदिर जैसे प्रमुख तीर्थस्थलों और कांगड़ा किले जैसे ऐतिहासिक स्थलों के प्रवेश द्वार के रूप में, यह शहर पर्यटन और मनोरंजन विकास, दोनों के लिए अपार संभावनाएँ रखता है। हालाँकि, इस क्षमता के बावजूद, नादौन में लंबे समय से पर्याप्त बुनियादी ढाँचे का अभाव रहा है, खासकर खेल और सार्वजनिक मनोरंजन सुविधाओं के क्षेत्र में, जो अपने निवासियों और बढ़ती संख्या में आने वाले पर्यटकों की ज़रूरतों को प्रभावी ढंग से पूरा कर सके। प्रस्तावित बहुउद्देशीय खेल परिसर का उद्देश्य बुनियादी ढाँचे की इस कमी को पूरा करना और समावेशी क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देना है।

1.1.2 अंतरराज्यीय/अंतर्राष्ट्रीय पहलू

प्रस्तावित बहुउद्देशीय खेल परिसर का निर्माण हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले में नादौन तहसील के मौजा कोहला, गाँव डोली घराना में किया जाएगा। एक व्यापक मूल्यांकन से यह पुष्टि हुई है कि इस परियोजना में कोई भी अंतरराज्यीय या अंतर्राष्ट्रीय पहलू शामिल नहीं है जो इसके कार्यान्वयन में बाधा उत्पन्न कर सके या क्षेत्राधिकार संबंधी विवादों को जन्म दे। भूमि स्वामित्व की स्पष्ट स्थिति और बाहरी भू-राजनीतिक चिंताओं का अभाव परियोजना के निर्बाध अनुमोदन और कार्यान्वयन के लिए एक मज़बूत आधार प्रदान करता है। इस पहल से क्षेत्र के बुनियादी ढाँचे और खेल संस्कृति की क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होने की उम्मीद है, जिससे इसके नियोजित और सतत विकास में योगदान मिलेगा।

1.1.3 विकासकर्ता पृष्ठभूमि

हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले की नादौन तहसील के मौजा कोहला, गाँव डोली घराना में प्रस्तावित बहुउद्देशीय खेल परिसर, युवा सेवा एवं खेल विभाग की एक प्रमुख पहल है। इस परियोजना का उद्देश्य इस क्षेत्र में पर्याप्त और आधुनिक खेल अवसंरचना उपलब्ध कराने की तत्काल आवश्यकता से उपजा है, जो एक शैक्षणिक केंद्र होने के बावजूद, बुनियादी खेल सुविधाओं से वंचित है।

हिमाचल प्रदेश सरकार का उद्देश्य शारीरिक स्वास्थ्य, राष्ट्रीय एकता और सामाजिक सामंजस्य को बढ़ावा देने के लिए एक जीवंत खेल संस्कृति को बढ़ावा देना है। यह परिसर विभिन्न खेल विधाओं में प्रतिभाशाली युवाओं की पहचान, पोषण और प्रशिक्षण के लिए एक मंच के रूप में कार्य करेगा। यह सामुदायिक भागीदारी को भी प्रोत्साहित करेगा और सामाजिक विकास के लिए उत्प्रेरक का काम करेगा।

इस परिसर का एक प्रमुख उद्देश्य स्थानीय निवासियों के लिए खेलकूद में भागीदारी के अवसर पैदा करना है। यह परियोजना युवा सशक्तिकरण को बढ़ावा देकर, खेलों के माध्यम से रोजगार क्षमता बढ़ाकर, और खेलकूद की दुकानों व स्थानीय खेल उद्योग के संदर्भ में क्षेत्र के पर्यटन एवं आर्थिक विकास में योगदान देकर महत्वपूर्ण सार्वजनिक उद्देश्य रखती है। इसे "पे एंड प्ले" मॉडल के तहत संचालित करने का प्रस्ताव है, जिससे सुविधा सुलभ होगी और राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर के खेल आयोजनों के बाद स्थायी वित्तीय लाभ भी प्राप्त होगा। यह पहल समावेशी विकास के व्यापक राज्य उद्देश्यों के अनुरूप है और भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन में उचित मुआवज़ा और पारदर्शिता के अधिकार अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुरूप है।

"भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित मुआवज़ा और पारदर्शिता का अधिकार (आरटीएफसीटीएलएआरआर) अधिनियम, 2013 की धारा 2, उप-धारा 1 (बी) के अनुरूप, यह

परियोजना बुनियादी ढाँचे के विकास को बढ़ावा देकर सार्वजनिक उद्देश्य की पूर्ति के रूप में योग्य है, जिससे समुदाय और क्षेत्र को सीधे लाभ होगा।"

1.2 परियोजना का स्थान और विवरण

प्रस्तावित परियोजना में हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले में नादौन तहसील के मौजा कोहला, गाँव डोली घराना में तहसील के पीछे स्थित 7561-06 वर्ग डेसी मीटर (लगभग 20 कनाल) अतिरिक्त भूमि का अधिग्रहण शामिल है। यह भूमि हिमाचल प्रदेश सरकार के युवा सेवा एवं खेल विभाग के अधीन, नादौन के खरीदी मैदान में एक बहुउद्देशीय खेल परिसर के निर्माण के लिए है।

इस परियोजना में खेल गतिविधियों के लिए बुनियादी ढाँचे का विकास, एथलीट प्रशिक्षण सुविधाएँ और प्रशासनिक ब्लॉक, शौचालय, उपकरण भंडारण जैसी सहायक सुविधाएँ और संभवतः दर्शकों के बैठने की व्यवस्था शामिल है। इस सुविधा का उद्देश्य खेल संस्कृति को बढ़ावा देना और फिटनेस एवं मनोरंजक गतिविधियों में सामुदायिक भागीदारी को सक्षम बनाना है।

अधिग्रहण के लिए प्रस्तावित भूमि में कई खसरा संख्याएँ शामिल हैं, और स्वामित्व विवरण चिन्हित कर दिए गए हैं (अनुलग्नक-क)। यह स्थल एक शैक्षिक और अर्ध-शहरी क्षेत्र में रणनीतिक रूप से स्थित है, जहाँ पूरे क्षेत्र के छात्रों, युवाओं और उभरते खिलाड़ियों को सेवा प्रदान करने की क्षमता है।

इस पहल से निम्नलिखित की अपेक्षा की जाती है:

- संरचित खेल प्रशिक्षण तक पहुँच में वृद्धि।
- क्षेत्रीय और राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं के लिए अवसर पैदा करना।
- युवा और खेल विकास को बढ़ावा देने वाली सरकारी योजनाओं का समर्थन करना।
- स्थिरता और सामुदायिक सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए "भुगतान और खेल" मॉडल पर काम करना।

यह परियोजना भौतिक अवसंरचना में निवेश के माध्यम से समावेशी विकास के अवसर पैदा करने के व्यापक उद्देश्य का हिस्सा है, विशेष रूप से उच्च युवा संकेन्द्रण और शैक्षिक प्रासंगिकता वाले वंचित क्षेत्रों में।

सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन के दौरान विभिन्न घटकों को ध्यान में रखा जाएगा जैसे प्रभावित परिवारों की आजीविका, सार्वजनिक और सामुदायिक संपत्तियाँ, संपत्तियाँ और अवसंरचना विशेष रूप से सड़कें, सार्वजनिक परिवहन, जल निकासी, स्वच्छता, पेयजल के स्रोत, मवेशियों के लिए जल के स्रोत, सामुदायिक तालाब, चरागाह भूमि, वृक्षारोपण, डाकघर,

उचित मूल्य की दुकानें, खाद्य भंडारण गोदाम, बिजली आपूर्ति, स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएँ, स्कूल और शैक्षिक या प्रशिक्षण सुविधाएँ, आँगनवाड़ी, बच्चों के पार्क, पूजा स्थल, पारंपरिक आदिवासी संस्थानों के लिए भूमि, कब्रिस्तान और श्मशान घाट।

1.3 क्षमता और उत्पादन

प्रस्तावित बहुउद्देशीय खेल परिसर में व्यापक खेल अवसंरचना के लिए पर्याप्त स्थान उपलब्ध होगा, जिसमें कोर्ट, हॉल, प्रशिक्षण कक्ष, चेंजिंग सुविधाएँ, स्विमिंग पूल और प्रशासनिक कार्यालय शामिल हैं।

❖ क्षमता:

- इस परिसर में विभिन्न खेलों के प्रतिदिन 150-200 खिलाड़ियों के आने की उम्मीद है।
- यह 8-लेन स्विमिंग पूल, शूटिंग रेंज और कुश्ती, मुक्केबाजी, कबड्डी, योग, टेबल टेनिस और बैडमिंटन जैसे खेलों के लिए समर्पित स्थानों जैसे कई खेलों के प्रशिक्षण सत्रों का समर्थन करेगा।
- आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित, यह हॉल मुक्केबाजी, बैडमिंटन, जूडो, वुशु, कराटे, ताइक्वांडो, भारोत्तोलन, टेबल टेनिस और वॉलीबॉल सहित कई खेलों की सुविधा प्रदान करेगा, जिससे क्षेत्र के युवा एथलीटों को पेशेवर प्रशिक्षण प्राप्त करने और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने का अवसर मिलेगा।
- यह अवसंरचना प्रत्येक खेल के लिए समर्पित क्षेत्रों के साथ, एक साथ कई खेलों के उपयोग की अनुमति देगी।
- इस स्थल में स्थानीय और जिला स्तरीय टूर्नामेंटों के साथ-साथ प्रतिभा खोज शिविरों के लिए भी क्षमता होगी

❖ अनुमानित परिणाम:

- कौशल विकास, शारीरिक फिटनेस और खेल कौशल पर केंद्रित, प्रतिवर्ष 1,000 से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण।
- कोचिंग, प्रशासन, रखरखाव और सहायता सेवाओं के माध्यम से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार का सृजन।
- प्रतिभाशाली युवाओं के लिए खेल-आधारित छात्रवृत्ति और करियर पथ की सुविधा।
- संरचित "पे एंड प्ले" पहुँच के माध्यम से सामुदायिक स्वास्थ्य और सामाजिक समावेशन में वृद्धि।
- राज्य और राष्ट्रीय खेल आयोजनों में क्षेत्रीय भागीदारी में वृद्धि।

खेल परिसर के निर्माण की कुल लागत ₹ 65 करोड़ होने का अनुमान है। इस परियोजना के लिए धन युवा सेवा एवं खेल विभाग द्वारा प्रदान किया जाएगा।

❖ चिन्हित जोखिम

- कृषि भूमि का नुकसान: अधिग्रहण के बाद कृषि भूमि का नुकसान।
- विस्थापन की समस्या: यद्यपि न्यूनतम, अधिग्रहण के दौरान भूमि उपयोगकर्ताओं के लिए अस्थायी व्यवधान उत्पन्न हो सकता है।
- पर्यावरणीय प्रभाव: धूल, अपशिष्ट और निर्माण मलबा आसपास की पारिस्थितिकी को अस्थायी रूप से प्रभावित कर सकते हैं।
- शोर और व्यवधान: निर्माण और खेल गतिविधियाँ आस-पास के निवासियों या शैक्षणिक संस्थानों को प्रभावित कर सकती हैं।
- मुआवज़ा विवाद: उचित मुआवज़ा न मिलने पर किसान आंदोलन कर सकते हैं।
- यातायात भीड़: आयोजनों या प्रशिक्षण के व्यस्ततम समय के दौरान यातायात प्रवाह में वृद्धि से स्थानीय सड़कों पर जाम लग सकता है।

रणनीतिक योजना, लक्षित प्रचार, तथा मजबूत बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी सुनिश्चित करके इन जोखिमों का सक्रिय रूप से समाधान करने से उनके संभावित प्रभाव को कम करने और परियोजना की सफलता सुनिश्चित करने में मदद मिल सकती है।

1.4 विकल्पों की जाँच

प्रस्तावित खेल परिसर का निर्माण मुख्यतः सरकारी भूमि पर किया जा रहा है, जिसका एक छोटा सा हिस्सा निजी भूमि से जुड़ा है। निजी भूमि का समावेश आवश्यक है क्योंकि यह रणनीतिक रूप से सरकारी भूमि के निकट स्थित है और परियोजना की समग्र विकास योजना का अभिन्न अंग है। इसकी महत्वपूर्ण स्थिति और सुविधाओं के निर्बाध एकीकरण को सुनिश्चित करने की आवश्यकता के कारण, वैकल्पिक स्थानों पर विचार करना व्यवहार्य नहीं है और इसलिए, इस पर विचार नहीं किया गया है। यह संरक्षण स्थान के इष्टतम उपयोग और नियोजित डिज़ाइन के अनुपालन को सुनिश्चित करता है, जिससे परियोजना की क्षमता अधिकतम हो जाती है।

1.4.1 परियोजना निर्माण के चरण

खेल परिसर का निर्माण वर्तमान में प्रगति पर है, जो विकास चरण में पर्याप्त प्रगति को दर्शाता है। चूँकि परियोजना एक ही, निरंतर चरण में क्रियान्वित की जा रही है, इसलिए किसी चरणबद्ध या बहु-चरणीय निर्माण योजना की आवश्यकता नहीं है। यह निर्बाध दृष्टिकोण शीघ्र पूर्णता, विलंब को न्यूनतम करने और समय पर परिचालन तत्परता सुनिश्चित करने के लिए

डिज़ाइन किया गया है। एक सुसंगत कार्यप्रवाह और कुशल संसाधन आवंटन बनाए रखते हुए, परियोजना का उद्देश्य लक्षित समय-सीमा के भीतर उच्च-गुणवत्ता वाले परिणाम प्राप्त करना है।

1.4.2 मुख्य डिज़ाइन विशेषताएँ, आकार और सुविधाओं के प्रकार

डिज़ाइन युवा सेवा एवं खेल विभाग द्वारा प्रदान किए गए थे; हालाँकि, प्रस्तावित बहुउद्देशीय खेल परिसर के डिज़ाइन निम्नलिखित पृष्ठों में दिए गए हैं:

1.5 पर्यावरणीय प्रभाव और तकनीकी व्यवहार्यता रिपोर्ट का विवरण

ईआईए किसी प्रस्तावित परियोजना के संभावित पर्यावरणीय परिणामों के मूल्यांकन के लिए महत्वपूर्ण हैं। ये परियोजना के वायु, जल, मृदा, जैव विविधता और सामाजिक-आर्थिक कारकों पर संभावित प्रभावों का आकलन करते हैं। ईआईए निम्नलिखित में मदद करता है:

- संभावित पर्यावरणीय जोखिमों और शमन उपायों की पहचान करना।
- पर्यावरणीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करना।
- नकारात्मक प्रभावों को कम करके सतत विकास को बढ़ावा देना। हालाँकि, अपेक्षित निकाय ने इस बारे में कोई जानकारी साझा नहीं की है कि विभाग के लिए पर्यावरणीय प्रभाव और तकनीकी व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार की गई थी या नहीं।

1.6 लागू कानून और नीतियाँ

भारत में सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए भूमि अधिग्रहण विशिष्ट कानूनी ढाँचों द्वारा नियंत्रित होता है जो पारदर्शिता और सामुदायिक भागीदारी पर जोर देते हैं। इनमें प्रमुख हैं भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित मुआवज़ा और पारदर्शिता का अधिकार (RTFCTLARR) अधिनियम, 2013, और हिमाचल प्रदेश RTFCTLARR नियम, 2015, जो सामाजिक प्रभाव आकलन और सामुदायिक परामर्श के लिए अनिवार्य प्रक्रियाओं की रूपरेखा प्रस्तुत करते हैं, जिनका विवरण निम्नलिखित अनुभागों में दिया गया है:

1.6.1 सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन की तैयारी

आरटीएफसीटीएलएआरआर अधिनियम, 2013 की धारा 4 के अंतर्गत यह प्रावधान है कि जब भी संबंधित सरकार सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए भूमि अधिग्रहण का प्रस्ताव रखती है, तो उसे प्रभावित क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम या नगरपालिका स्तर पर संबंधित पंचायत या वार्ड से परामर्श करना आवश्यक है। यह परामर्श सामाजिक प्रभाव आकलन (SIA) अध्ययन के लिए एक पूर्वापेक्षा है, जिसे स्थानीय निकायों के सहयोग से किया जाना चाहिए।

सामाजिक प्रभाव आकलन (SIA) के संचालन की प्रक्रिया, जिसमें विधियाँ और प्रारंभ तिथि शामिल हैं, सरकार द्वारा एक आधिकारिक अधिसूचना के माध्यम से निर्दिष्ट की जानी है।

इसके अलावा, हिमाचल प्रदेश RFCTLARR नियम, 2015 का नियम 3(1) राज्य के भीतर अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए अतिरिक्त प्रक्रियात्मक विवरण प्रदान करता है। इस नियम के अनुसार, राज्य सरकार नियमों के प्रपत्र-1 के भाग-B में निर्धारित दिशानिर्देशों का पालन करते हुए सामाजिक प्रभाव आकलन (SIA) शुरू करने के लिए एक अधिसूचना जारी करने के लिए अधिकृत है। यह अधिसूचना हिंदी और अंग्रेजी दोनों में प्रसारित की जानी चाहिए और संबंधित पंचायत, नगर पालिका या नगर निगम को उपलब्ध कराई जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त, अधिसूचना की प्रतियाँ जिला कलेक्टर, उप-विभागीय मजिस्ट्रेट और तहसील के कार्यालयों में उपलब्ध होनी चाहिए। व्यापक जागरूकता सुनिश्चित करने के लिए, अधिसूचना को प्रभावित क्षेत्र में प्रसारित होने वाले कम से कम दो दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाना चाहिए और प्रभावित क्षेत्रों के प्रमुख स्थानों पर प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाना चाहिए। व्यापक पहुँच और पारदर्शिता के लिए अधिसूचना को राज्य सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर भी अपलोड किया जाना आवश्यक है।

ये प्रावधान यह सुनिश्चित करने के लिए अभिन्न हैं कि भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से संचालित की जाए तथा ऐसी पहलों से प्रभावित स्थानीय समुदायों की चिंताओं और सुझावों को उचित ध्यान में रखा जाए।

1.6.2 भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया

सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पारदर्शिता, सामुदायिक भागीदारी और कानूनी प्रोटोकॉल के पालन को सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन किए गए चरणों की एक श्रृंखला द्वारा संचालित होती है। इस प्रक्रिया के प्रमुख चरणों की रूपरेखा निम्नलिखित है:

- सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम सभा या शहरी क्षेत्रों में समकक्ष शहरी स्थानीय निकायों के परामर्श से, सामाजिक प्रभाव आकलन (एसआईए) अध्ययन आयोजित करके भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया शुरू करती है।
- एसआईए के बाद, रिपोर्ट का मूल्यांकन एक विशेषज्ञ समूह द्वारा किया जाता है, जिसमें दो गैर-सरकारी सामाजिक वैज्ञानिक, दो पुनर्वास विशेषज्ञ और परियोजना से संबंधित एक तकनीकी विशेषज्ञ शामिल होते हैं।
- मूल्यांकित एसआईए रिपोर्ट की फिर एक समिति द्वारा समीक्षा की जाती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण आवश्यक शर्तों को पूरा करता है।
- भूमि अधिग्रहण के लिए सरकार की मंशा को दर्शाने वाली एक प्रारंभिक अधिसूचना एसआईए रिपोर्ट के मूल्यांकन के 12 महीनों के भीतर जारी की जानी चाहिए।

- इसके बाद सरकार परियोजना के लिए आवश्यक भूमि की सटीक सीमा निर्धारित करने के लिए एक सर्वेक्षण करती है।

1.6.3 भूमि अधिग्रहण, पुनर्वासन और पुनर्स्थापन में उचित मुआवज़ा और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (आरटीएफसीटीएलएआरआर अधिनियम, 2013)

आरटीएफसीटीएलएआरआर अधिनियम, 2013, औपनिवेशिक काल से चले आ रहे भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 के स्थान पर लागू किया गया था। आरटीएफसीटीएलएआरआर अधिनियम, भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया के आधुनिकीकरण और प्रभावशीलता को बढ़ाने के उद्देश्य से, पिछले कानून की गंभीर कमियों को दूर करने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण सुधार का प्रतिनिधित्व करता है। यह अधिनियम, अधिग्रहण प्रक्रिया के दौरान पारदर्शिता सुनिश्चित करते हुए, औद्योगीकरण, अचल संपत्ति और बुनियादी ढाँचे के विकास की आवश्यकताओं के साथ भूमि मालिकों के हितों को संतुलित करने का प्रयास करता है।

आरटीएफसीटीएलएआरआर अधिनियम की एक प्रमुख विशेषता यह है कि यह उचित मुआवज़े के प्रावधान के साथ-साथ, जिन व्यक्तियों की भूमि अधिग्रहित की जाती है, उनके अनिवार्य पुनर्वास और पुनर्स्थापन पर जोर देता है। अधिनियम के प्रावधानों के तहत नियमों को अधिसूचित करते समय प्रत्येक राज्य द्वारा प्रावधानों का वर्णन किया गया है, विशेष रूप से उन मामलों में जहाँ सरकार द्वारा सार्वजनिक उद्देश्यों या सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहित की जाती है। इस अधिनियम को भूमिधारकों और अन्य प्रभावित पक्षों के अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए एक आवश्यक और लाभकारी उपाय के रूप में व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त है।

1.6.4 हिमाचल प्रदेश भूमि अधिग्रहण, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार (सामाजिक प्रभाव आकलन और सहमति) नियम, 2015 (हिमाचल प्रदेश आरटीएफसीटीएलएआरआर नियम 2015), हिमाचल प्रदेश आरटीएफसीटीएलएआरआर नियम 2015 को 9 अप्रैल, 2015 को अधिसूचित किया गया और हिमाचल प्रदेश के राजपत्र (ई-गजट) में भूमि अधिग्रहण, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का अधिनियम संख्या 30) की धारा 112 के अनुसार प्रकाशित किया गया। ये नियम संपूर्ण हिमाचल प्रदेश राज्य में लागू हैं।

हिमाचल प्रदेश आरटीएफसीटीएलएआरआर नियम, 2015, 2013 के केंद्रीय अधिनियम पर आधारित, राज्य में सामाजिक प्रभाव आकलन (एसआईए) करने के लिए प्रक्रियात्मक ढाँचा स्थापित करते हैं। इन नियमों की मुख्य विशेषताएँ इस प्रकार हैं: (क) फॉर्म II और III के अनुसार सामाजिक प्रभाव प्रबंधन (SIA) और सामाजिक प्रभाव प्रबंधन योजनाओं (SIMP) का

संचालन। (ख) जन सुनवाई आयोजित करने की आवश्यकता। (ग) सहमति प्राप्त करने की आवश्यकता। इनमें से प्रत्येक पहलू का आगे के खंडों में विस्तार से वर्णन किया गया है।

अध्याय-2

सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन की टीम संरचना, दृष्टिकोण, कार्यप्रणाली और अनुसूची

यह अध्याय हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले में नादौन तहसील के मौजा कोहला गाँव, डोली घराना में प्रस्तावित बहुउद्देशीय खेल परिसर, जिसका अधिग्रहण सार्वजनिक उद्देश्य के लिए किया जाना है, के सामाजिक प्रभाव आकलन (एसआईए) के लिए भूमि अधिग्रहण, पुनर्वासन और पुनर्स्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (भारत का राजपत्र, असाधारण भाग II, खंड I, 27 सितंबर, 2013) को पूरा करने हेतु अपनाए गए पद्धतिगत दृष्टिकोण की रूपरेखा प्रस्तुत करता है। यह आकलन दल की संरचना, प्रत्येक सदस्य की विशिष्ट विशेषज्ञता और परियोजना के सामाजिक निहितार्थों के मूल्यांकन हेतु नियोजित व्यवस्थित प्रक्रियाओं का विवरण प्रस्तुत करता है। यह कठोर पद्धति यह सुनिश्चित करती है कि सभी प्रासंगिक सामाजिक कारकों की गहन जाँच की जाए, जिससे सूचित निर्णय लेने के लिए एक ठोस आधार प्रदान हो।

2.1 टीम विवरण:

टीम में अपने-अपने क्षेत्रों में सिद्ध विशेषज्ञता वाले अनुभवी पेशेवर शामिल हैं, और प्रत्येक समान पैमाने और दायरे के पूर्व आकलनों से बहुमूल्य अनुभव लेकर आता है। टीम की बहु-विषयक प्रकृति संभावित सामाजिक प्रभावों का एक समग्र और गहन मूल्यांकन संभव बनाती है, जिसमें प्रत्येक सदस्य अध्ययन की अखंडता और सफलता के लिए आवश्यक क्षेत्र-विशिष्ट अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। तालिका 2.1 अध्ययन के संचालन के लिए उत्तरदायी सामाजिक प्रभाव आकलन (SIA) टीम की संरचना को रेखांकित करती है।

तालिका 2-1: सामाजिक प्रभाव आकलन टीम की संरचना और विशेषज्ञता

क्रम संख्या	नाम	पद	योग्यता	कार्य का अनुभव
1.	श्रीमती के. रत्ना	निदेशक(सिबार्ट)	वित्तीय प्रबंधन में स्नातकोत्तर	अनुसंधान, आधारभूत सर्वेक्षण, सूक्ष्म वित्त आदि में 20 से अधिक वर्षों का अनुभव
2.	श्रीमती नमिता	निदेशक(अग्रिम)	माइक्रोबायोलॉजी में एम.एस.सी.	अनुसंधान और स्वास्थ्य परियोजना में 8 वर्ष से अधिक का अनुभव
3.	श्री राजेश कुमार	परियोजना समन्वयक	लोक प्रशासन में एम.फिल.	ग्रामीण विकास, अनुसंधान कार्य और एसआईए कार्य में 18 वर्ष से अधिक अनुभव
4	श्रीमती स्वाति झा	अनुसंधान अन्वेषक	सामाजिक बहिष्करण और समावेशी नीति में मास्टर। एलएलबी करना	अनुसंधान, मानवाधिकार गतिविधियों में 7 वर्ष से अधिक का अनुभव
5.	श्री मनोज कुमार	अनुसंधान अन्वेषक	इलेक्ट्रॉनिक्स में बी.ई.	अनुसंधान में से अधिक वर्षों का अनुभव 10

6.	शुश्री आकांक्षा	अनुसंधान सहायक	बी.ए.ऑनर्स राजनीति विज्ञान)) एम.एस.डब्ल्यू	5 वर्ष से अधिक
7	डॉ. क्षितिज मल्होत्रा	अनुसंधान अन्वेषक	पीएचडी (वनस्पति विज्ञान)	अनुसंधान और विकास में 16 वर्षों से अधिक का अनुभव

सर्वेक्षणकर्ताओं ने प्रभावित समुदायों के साथ जुड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और यह सुनिश्चित किया कि आँकड़े सटीक, संवेदनशील और व्यापक रूप से एकत्र किए जाएँ। हितधारकों के साथ उनके सीधे संपर्क ने प्राथमिक डेटासेट की गहराई और विश्वसनीयता में योगदान दिया, जो अध्ययन के निष्कर्षों और सिफारिशों का आधार बनता है। तालिका 2.2 में दिए गए क्षेत्र सर्वेक्षणकर्ताओं का विवरण दिया गया है जिन्होंने SIA के लिए प्राथमिक आँकड़े एकत्र किए।

तालिका 2-2: सामाजिक प्रभाव आकलन के लिए क्षेत्र सर्वेक्षकों की सूची

क्रम संख्या	नाम	पद	योग्यता	कार्य का अनुभव
1	श्री राजेश कुमार	परियोजना समन्वयक	लोक प्रशासन में एम.फिल.	ग्रामीण विकास, अनुसंधान कार्य और एसआईए कार्य में 18 वर्ष से अधिक अनुभव
2	शुश्री आकांक्षा	अनुसंधान सहायक	बी.ए.ऑनर्स राजनीति विज्ञान)) एम.एस.डब्ल्यू	5 वर्ष से अधिक

2.2 प्रयुक्त कार्यप्रणाली और उपकरणों का विवरण और औचित्य

चुना गया दृष्टिकोण प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण के सामाजिक परिणामों का व्यवस्थित मूल्यांकन करने, प्रासंगिक कानूनी ढाँचों का अनुपालन सुनिश्चित करने और प्रभावित समुदायों पर संभावित प्रभावों की व्यापक समझ प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

❖ उद्देश्य

हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले में बहुउद्देशीय खेल परिसर परियोजना राज्य सरकार की एक प्रमुख पहल है। इसके पूरा होने के लिए, जिले के भीतर सरकारी और निजी दोनों प्रकार की भूमि आवश्यक है। जिन निजी भूस्वामियों ने अपनी भूमि सीधे युवा सेवा एवं खेल विभाग को बेचने की सहमति नहीं दी है, उनके लिए अधिग्रहण जिला प्रशासन, हमीरपुर द्वारा निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार किया जाएगा।

हिमाचल प्रदेश भूमि अधिग्रहण, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार (सामाजिक प्रभाव आकलन और सहमति) नियम, 2015 के प्रावधानों के अनुरूप, किसी भी सार्वजनिक उद्देश्य के लिए भूमि अधिग्रहण करने से पहले सामाजिक प्रभाव आकलन (एसआईए) करना अनिवार्य है। तदनुसार, सामाजिक प्रभाव आकलन इकाई, एमएसएचआईपीए-

फेयरलांस, शिमला-12 के अनुरोध पर, प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण के लिए एसआईए अध्ययन किया गया और इसे सिबार्ट एवं अग्रिमा संस्थान, दिल्ली द्वारा सफलतापूर्वक पूरा किया गया।

❖ अध्ययन के उद्देश्य:

वर्तमान सामाजिक प्रभाव आकलन अध्ययन का उद्देश्य नियोजित "बहुउद्देशीय खेल परियोजना" से प्रभावित भूमि स्वामियों पर पड़ने वाले प्रभाव और क्षति की पहचान करना और इन प्रभावों को कम करने के उपाय सुझाना है। प्रस्तुत सामाजिक प्रभाव आकलन अध्ययन निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए हिमाचल प्रदेश नियम, 2015 के प्रावधानों के अनुसार किया गया था:

यह आकलन करना कि क्या प्रस्तावित अधिग्रहण सार्वजनिक उद्देश्य की पूर्ति करता है और परियोजना के लिए अधिग्रहित भूमि न्यूनतम आवश्यक है।

- प्रभावित भूमि स्वामियों की संख्या और उनमें से उन परिवारों की संख्या का अनुमान लगाना जिनके आवासीय, व्यावसायिक या दोनों रूपों से विस्थापित होने की संभावना है।
- परियोजना के भूमि अधिग्रहण से प्रभावित भूमि स्वामियों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति का आकलन करना।
- सार्वजनिक संपत्ति संसाधनों, सामाजिक-आर्थिक अवसंरचना आदि के नुकसान के कारण भूमि खोने वाले भूमि स्वामियों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने वाले परिवारों को शामिल करके परियोजना के सामाजिक प्रभावों का अध्ययन करना और परियोजना की कुल लागत और लाभ पर इन लागतों के प्रभाव का आकलन करना।
- इस उद्देश्य के लिए एक वैकल्पिक स्थल पर विचार किया गया है ताकि यह पता लगाया जा सके कि विस्थापन की समस्या सबसे कम कहाँ है, लेकिन क्या वह स्थल स्वयं परियोजना के लिए उपयुक्त है।
- एच.पी.आर.टी.एफ.सी.टी.एल.ए.आर.आर नियम, 2015 के प्रपत्र-II के अनुसार प्रभावित क्षेत्र और पुनर्वास स्थल (यदि कोई हो) का सामाजिक-आर्थिक और सांस्कृतिक विवरण तैयार करना। ः सामाजिक प्रभाव प्रबंधन योजना (एस.आई.एम.पी) के प्रपत्र III के माध्यम से उपयुक्त नीतियों और कार्यक्रमों को डिजाइन करके उपचारात्मक हस्तक्षेप उपायों का सुझाव दें।

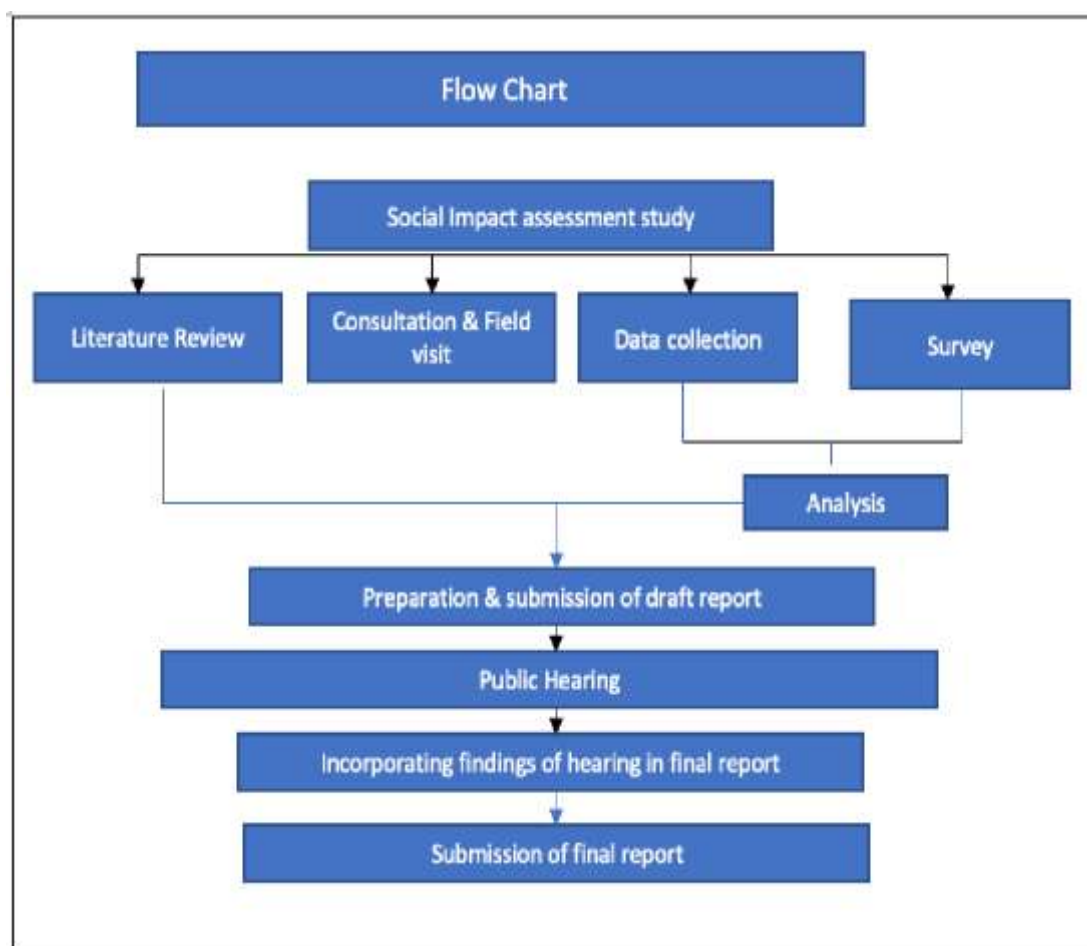
2.3 दृष्टिकोण और कार्यप्रणाली:

सामाजिक प्रभाव आकलन (एस.आई.ए) करने और सामाजिक प्रभाव प्रबंधन योजना (एस.आई.एम.पी) तैयार करने के लिए अपनाई गई कार्यप्रणाली नीचे दी गई है। यह आकलन भूमि अधिग्रहण, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित मुआवज़ा और पारदर्शिता का अधिकार (आर.एफ.सी.टी.एल.ए.आर.आर.) अधिनियम, 2013 और हिमाचल प्रदेश आर.एफ.सी.टी.एल.ए.आर.आर. नियम, 2015 के प्रावधानों के अनुसार किया गया था। निम्नलिखित प्रवाह चार्ट एस.आई.ए अध्ययन के दौरान अपनाए गए चरण-दर-चरण दृष्टिकोण को दर्शाता है, जिससे एक व्यापक, सहभागी और साक्ष्य-आधारित मूल्यांकन प्रक्रिया सुनिश्चित होती है।

सामाजिक प्रभाव आकलन (SIA) अध्ययन करने और SIMP तैयार करने की प्रक्रिया/पद्धति:

साहित्य समीक्षा: -

- क्षेत्र भ्रमण और परामर्श:- विभाग द्वारा पहचाने गए हितधारकों का साक्षात्कार (प्राथमिक और द्वितीयक आंकड़ों के लिए) और हितधारकों के साथ परामर्श
- डेटा संग्रह:- द्वितीयक आंकड़े (राजस्व विभाग और लोक निर्माण विभाग के सर्वेक्षण चित्र और अन्य संबंधित विभाग)
- प्राथमिक आंकड़े - क्षेत्र भ्रमण किया गया और जानकारी प्राप्त करने के लिए पूर्व-निर्धारित प्रश्नावली का उपयोग किया गया।
- एकत्रित आंकड़ों का विश्लेषण
 - विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय मापदंडों का गुणात्मक और मात्रात्मक विश्लेषण। एकत्रित प्राथमिक और द्वितीयक आंकड़ों का विश्लेषण
 - हितधारक परामर्श से निष्कर्ष
 - स्थल सर्वेक्षण से अवलोकन



2.4 कार्यप्रणाली का औचित्य

यह कार्यप्रणाली ऐसे प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्वास और पुनर्स्थापन के लिए पर्याप्त प्रावधान सुनिश्चित करती है और यह सुनिश्चित करती है कि अधिग्रहण का संचयी परिणाम यह हो कि प्रभावित व्यक्ति विकास भागीदार बनें, जिससे अधिग्रहण के बाद उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार हो।

2.5 सामाजिक प्रभाव आकलन हेतु जानकारी एकत्र करने के उपकरण

संभावित सामाजिक प्रभावों का व्यापक मूल्यांकन सुनिश्चित करने के लिए, सामाजिक प्रभाव आकलन (एसआईए) के लिए प्राथमिक और द्वितीयक दोनों स्रोतों से आँकड़े एकत्र किए गए। उपयोग किए गए उपकरण और कार्यप्रणाली नीचे उल्लिखित हैं:

❖ द्वितीयक डेटा स्रोत:

द्वितीयक डेटा सरकारी प्रकाशनों जैसे जनगणना रिपोर्ट, सांख्यिकीय पुस्तिकाओं और प्रासंगिक साहित्य से प्राप्त किया गया था। इन स्रोतों ने परियोजना क्षेत्र की जनसांख्यिकीय, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विशेषताओं के बारे में आधारभूत जानकारी प्रदान की और विश्लेषण के लिए आधार रेखा के रूप में कार्य किया।

❖ प्राथमिक डेटा संग्रह:

- **घरेलू सर्वेक्षण:** जनसांख्यिकीय और सामाजिक-आर्थिक मापदंडों पर विस्तृत डेटा एकत्र करने के लिए प्रभावित परिवारों को एक संरचित प्रश्नावली दी गई।
- **क्षेत्रीय दौरे:** प्रत्यक्ष अवलोकन और अनौपचारिक साक्षात्कार सहित ऑन-साइट दौरों ने स्थानीय परिस्थितियों और हितधारकों के दृष्टिकोणों की समझ को समृद्ध किया।

❖ सर्वेक्षण उपकरणों का विकास:

प्राथमिक हितधारकों से मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों तरह की जानकारी एकत्र करने के लिए एक व्यापक प्रश्नावली तैयार की गई थी। उपकरण का पूर्व-परीक्षण किया गया, प्रतिक्रिया के आधार पर संशोधित किया गया और फिर प्रशिक्षित क्षेत्रीय अन्वेषकों द्वारा तैनात किया गया।

❖ प्राथमिक सर्वेक्षण फोकस:

सर्वेक्षण में घरेलू संरचना, आय स्तर, व्यावसायिक पैटर्न, संसाधन निर्भरता और परियोजना के संभावित सामाजिक और आर्थिक प्रभावों पर डेटा एकत्र किया गया। उत्तरदाताओं की प्रतिक्रिया और समुदाय की धारणाओं को जानने के लिए खुले प्रश्नों को शामिल किया गया।

❖ आँकड़ा संग्रह और स्थलीय सत्यापन का पर्यवेक्षण:

मुख्य SIA टीम ने आँकड़ा संग्रह प्रक्रिया का सक्रिय रूप से पर्यवेक्षण किया। आँकड़ों की सटीकता, एकरूपता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए, सर्वेक्षण किए गए परिवारों के एक नमूने का स्थलीय सत्यापन किया गया।

2.6 नमूनाकरण पद्धति

एसआईए टीम ने प्रभावित परिवार का दौरा किया और डेटा साझाकरण में भाग लेने वालों से निम्नलिखित तरीके से जानकारी एकत्र की गई:

❖ मात्रात्मक तकनीकें:

घरेलू सर्वेक्षण के दौरान प्राथमिक हितधारकों को पूर्व-परीक्षित संरचित प्रश्नावली दी गई।

❖ गुणात्मक तकनीकें:

गुणात्मक तकनीकों में सार्वजनिक परामर्श शामिल थे और जमीनी हालात और हितधारकों की बातचीत को दर्ज करने के लिए क्षेत्र के दौरे के दौरान तस्वीरें ली गईं (अनुलग्नक-ख)।

2.7 प्रयुक्त सूचना और डेटा स्रोतों का अवलोकन

सामाजिक प्रभाव आकलन (एसआईए) और सामाजिक प्रभाव प्रबंधन योजना (एसआईएमपी) को कई स्रोतों से एकत्रित डेटा और अंतर्दृष्टि का उपयोग करके विकसित किया गया था, जिसमें क्षेत्र सर्वेक्षण, हितधारक परामर्श और प्रासंगिक कानूनी और नीतिगत दस्तावेज़ जैसे

आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम, 2013 और हिमाचल प्रदेश आरएफसीटीएलएआरआर नियम, 2015 शामिल हैं। उपयोग किए गए डेटा स्रोतों का सारांश नीचे दिया गया है:

- सरकारी रिपोर्ट और साहित्य: आधिकारिक प्रकाशनों, नीतिगत दस्तावेजों और सांख्यिकीय रिपोर्टों ने परियोजना क्षेत्र से संबंधित जनसांख्यिकीय, आर्थिक और सामाजिक संकेतकों पर आवश्यक द्वितीयक आँकड़े उपलब्ध कराए।
- क्षेत्र सर्वेक्षण और स्थल भ्रमण: प्रभावित परिवारों और स्थानीय हितधारकों के साथ सीधे संपर्क के माध्यम से प्राथमिक आँकड़े एकत्र किए गए, जिससे संभावित प्रभावों की प्रासंगिक समझ प्राप्त हुई। परिवार सर्वेक्षण व्यवस्थित रूप से 10-06-2025 को किया गया, जिसमें संबंधित विभाग द्वारा चिन्हित अधिसूचित क्षेत्र को शामिल किया गया।
- हितधारक परामर्श: सामुदायिक सदस्यों और प्रमुख हितधारकों के साथ सार्वजनिक बैठकों, साक्षात्कारों और केंद्रित समूह चर्चाओं ने SIA के निष्कर्षों को आकार देने और SIMP को तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके सुझावों ने यह सुनिश्चित किया कि मूल्यांकन प्रक्रिया में स्थानीय दृष्टिकोणों और चिंताओं का पर्याप्त रूप से समाधान किया गया।

2.8 प्रमुख हितधारकों के साथ परामर्श की अनुसूची और आयोजित जन सुनवाई का संक्षिप्त विवरण

आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, 11 जुलाई, 2025 को एक जन सुनवाई सफलतापूर्वक आयोजित की गई, जिससे निर्णय लेने की प्रक्रिया में पारदर्शिता और सामुदायिक भागीदारी सुनिश्चित हुई। यह कार्यक्रम स्थानीय नगर परिषद कार्यालय, नादौन, हिमाचल प्रदेश में आयोजित किया गया और इसकी अध्यक्षता उप-मंडल मजिस्ट्रेट (एसडीएम), नादौन ने की। व्यापक जन जागरूकता सुनिश्चित करने के लिए, स्थानीय समाचार पत्रों के माध्यम से पूर्व सूचना प्रसारित की गई और पूरे शहर में प्रमुख स्थानों पर सूचनात्मक पोस्टर प्रदर्शित किए गए (अनुलग्नक-ग)।

सुनवाई में एसडीएम और राजस्व विभाग तथा हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग के अधिकारी, नगर परिषद के सदस्य और नामित अधिकारी, भूमि अधिग्रहण कार्यालय के अधिकारी, सामाजिक प्रभाव अध्ययन एजेंसी अग्रिमा के श्री राजेश कुमार और श्रीमती नमिता अन्य ग्रामीण उपस्थित थे।

इस मंच ने सरकारी अधिकारियों और सामुदायिक हितधारकों के बीच खुले संवाद का अवसर प्रदान किया, जिससे प्रस्तावित परियोजना पर विचारों, सुझावों और प्रतिक्रियाओं का आदान-प्रदान हुआ।

हालांकि, यह ध्यान देने योग्य बात है कि व्यापक प्रयासों के बावजूद, प्रभावित परिवारों सहित 25 प्रतिभागियों ने ही जन सुनवाई में भाग लिया।

2.9 कार्य एवं समय का विवरण

क्रम संख्या	कार्य विवरण	दिन
1	साहित्य का पुनरावलोकन	2
2	प्रश्नावली की तैयारी और डेटा संग्रह की जाँच सूची	3
3	डेटा संग्रह और क्षेत्र सर्वेक्षण	5
4	क्षेत्र की जानकारी का विश्लेषण	6
5	ड्राफ्ट आख्या लेखन	8
6	ड्राफ्ट आख्या की पर्याप्त प्रति तैयार करना	
7	ड्राफ्ट आख्या की पर्याप्त प्रति प्रस्तुत करना	12
8	जनसुनवाई की घोषणा और प्रकाशन	14
9	एसआईए का सारांश खोजने के लिए पोस्टर/पर्चे की तैयारी	
10	प्रावधान के अनुसार सुनवाई का संचालन	36
11	अंतिम आख्या में सुनवाई के निष्कर्ष को शामिल करना	37
12	सहमति प्रक्रिया में एसआईए टीम की भागीदारी	
13	अंतिम आख्या की पर्याप्त प्रति प्रस्तुत करना	38
14	स्पष्ट, संक्षिप्त और सुलभ SIA और SIMP रिपोर्ट प्रस्तुत करना	40

अध्याय 3

भूमि मूल्यांकन

किसी भी प्रकार के निर्माण कार्य के लिए भूमि सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले में, विशेष रूप से सुनियोजित "बहुउद्देशीय खेल परिसर परियोजना" के लिए पर्याप्त मात्रा में भूमि उपलब्ध होनी चाहिए। हिमाचल प्रदेश में सुनियोजित "जिला हमीरपुर" बहुउद्देशीय खेल परिसर परियोजना के लिए अपेक्षाकृत कम भूमि की आवश्यकता है। जैसा कि पहले बताया गया है, हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले में, नादौन तहसील के डोली घराना गाँव की भूमि, एक बहुउद्देशीय खेल परिसर परियोजना के निर्माण हेतु अधिग्रहित किए जाने का प्रस्ताव है।

3.1 भूमि सूची और प्राथमिक स्रोतों से जानकारी

परियोजना के अंतर्गत आवश्यक भूमि का विवरण तालिका 3.1 में दिया गया है। तालिका के अवलोकन से पता चलता है कि परियोजना के अंतर्गत कुल 7561-06 वर्ग डेसी मीटर भूमि प्रभावित हो रही है, जिसका अधिग्रहण प्रस्तावित है।

तालिका 3.1 अधिग्रहित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि का विवरण

क्रम संख्या	गाँव का नाम	तहसील	मौजा	परियोजना के लिए आवश्यक भूमि (वर्ग डेसी मीटर)	ग्राम समाज की भूमि (वर्ग डेसी मीटर)	भूस्वामियों की निजी भूमि (वर्ग डेसी मीटर)
1	डोली घराना	नादौन	कोहाल	17327-92	9766-86	7561-06

3.2 भूमि का प्रकार:

इस परियोजना के अंतर्गत अधिग्रहित की जाने वाली गाँव की भूमि का उपयोग कृषि और आवासीय उद्देश्यों के लिए किया जा रहा है।

3.3 भूमि का उपयोग:

स्थल निरीक्षण, क्षेत्र के लोगों और प्रभावित भूमि स्वामियों के सदस्यों से बातचीत के बाद, यह पता चला कि इस क्षेत्र की भूमि का उपयोग मुख्यतः कृषि और आवास के लिए किया जाता है।

3.4 परियोजना के प्रभाव में संपूर्ण क्षेत्र:

हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले के नादौन स्थित डोली घराना गाँव में बहुउद्देशीय खेल परिसर के निर्माण की परियोजना, 7561-06 वर्ग डेसी मीटर निजी भूमि के क्षेत्र में फैली हुई है और

परियोजना के निर्बाध कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए वर्तमान में अधिग्रहण की प्रक्रिया में है। इस परियोजना का प्राथमिक उद्देश्य क्षेत्र के खेल बुनियादी ढाँचे को मजबूत करना, प्रतिभा विकास को सक्षम बनाना और खेल एवं फिटनेस में सक्रिय सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहित करना है।

इस सुविधा से रोजगार के अवसर पैदा करके, स्थानीय विक्रेताओं और सेवा प्रदाताओं को समर्थन देकर, और जिला एवं राज्य स्तरीय खेल आयोजनों के आयोजन के लिए एक मंच प्रदान करके स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। इसके अतिरिक्त, इस परियोजना को पर्यावरणीय स्थिरता के प्रति प्रतिबद्धता के साथ विकसित किया जा रहा है, जिसमें स्वस्थ और समावेशी मनोरंजक स्थानों को बढ़ावा देते हुए इसके पारिस्थितिक पदचिह्न को कम करने के लिए पर्यावरण के अनुकूल डिज़ाइन और नियोजन विधियों को शामिल किया गया है।

3.5 परियोजना के लिए अधिग्रहण का दायरा और कुल भूमि आवश्यकता:

परियोजना के लिए अधिग्रहण का दायरा 7561-06 वर्ग डेसी मीटर निजी भूमि तक सीमित है, जो बहुउद्देशीय खेल परिसर के निर्माण के लिए निर्धारित मुख्य सड़क (अर्थात् हमीरपुर-नदुआं रोड) से सटी हुई रणनीतिक रूप से स्थित है। मुख्य परियोजना क्षेत्र के साथ निर्बाध एकीकरण सुनिश्चित करने, बेहतर पहुँच, अनुकूलित खेल परिसर लेआउट और प्रस्तावित परिसर की बढ़ी हुई कार्यक्षमता को सुविधाजनक बनाने के लिए भूमि का यह अतिरिक्त टुकड़ा आवश्यक है। इस अधिग्रहण की सीमित सीमा भूमि उपयोग के प्रति एक केंद्रित दृष्टिकोण को दर्शाती है, जो परियोजना के समग्र विकास उद्देश्यों के साथ संरेखित करते हुए आसपास के क्षेत्रों में व्यवधान को कम करती है।

उल्लिखित क्षेत्रों के अलावा, इस परियोजना के लिए कोई अतिरिक्त भूमि अधिग्रहण अपेक्षित नहीं है। एजेंसी ने वर्तमान परियोजना के दायरे से परे अतिरिक्त भूमि की किसी आवश्यकता को अधिसूचित या इंगित नहीं किया है।

3.6 क्षेत्र के आसपास की किसी भी सार्वजनिक, अप्रयुक्त भूमि का वर्तमान उपयोग

इसमें इस बात पर ज़ोर दिया गया है कि अधिग्रहण के लिए प्रस्तावित स्थल के आसपास के क्षेत्र में कोई सार्वजनिक भूमि उपलब्ध नहीं है।

3.7 परियोजना के लिए आवश्यक प्रत्येक भूखंड के लिए पहले से खरीदी गई, हस्तांतरित, पट्टे पर दी गई/अधिग्रहित भूमि और इच्छित उपयोग

वर्तमान परियोजना मुख्यतः सरकारी स्वामित्व वाली भूमि पर स्थित है, जिसमें तेरह परिवारों और एक ट्रस्ट की निजी भूमि का एक छोटा सा हिस्सा शामिल है। परिणामस्वरूप, वर्तमान

अधिग्रहण प्रक्रिया 7561-06 वर्ग डेसी मीटर क्षेत्रफल वाली निजी भूमि के एक छोटे से हिस्से को सुरक्षित करने पर केंद्रित है ताकि परियोजना को निर्बाध रूप से जारी रखा जा सके और पूरा किया जा सके। विभाग इस मामले को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाने, कानूनी प्रोटोकॉल का अनुपालन सुनिश्चित करने और अधिग्रहण प्रक्रिया में निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

3.8 भूमि का वर्गीकरण, प्रकृति और वर्तमान उपयोग

भूमि को दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है - कृषि और आवासीय उद्देश्य।

स्थल निरीक्षण और प्रभावित भूमि स्वामियों और अधिग्रहण से सीधे प्रभावित न होने वाले आस-पास के निवासियों से बातचीत के बाद, यह पाया गया कि प्रस्तावित क्षेत्र की भूमि का उपयोग मुख्य रूप से कृषि गतिविधियों और आवासीय उद्देश्यों के लिए किया जाता है।

3.9 जोतों का आकार, स्वामित्व स्वरूप

सीमांत जोत से तात्पर्य उन भूमि खंडों से है जो आकार में छोटे होते हैं, आमतौर पर 1 हेक्टेयर या उससे कम और सभी परियोजना प्रभावित परिवारों के पास सीमांत भूमि जोत होती है। अधिग्रहित की जाने वाली भूमि का विवरण अनुलग्नक-क में दिया गया है। प्रस्तावित अधिग्रहण के अंतर्गत आने वाली कुल निजी भूमि मुख्यतः अगली पीढ़ी को पैतृक रूप से हस्तांतरित होती है।

3.10 भूमि वितरण और अधिग्रहित किए जा रहे आवासीय घरों की संख्या

इस परियोजना के अंतर्गत अधिग्रहण के लिए प्रस्तावित कुल निजी भूमि 7561-06 वर्ग डेसी मीटर है। चिन्हित भूखंड में एक आवासीय घर के साथ-साथ अन्य भौतिक संरचनाएँ जैसे दो जल भंडारण टैंक, तीन बिजली के खंभे, एक तार की दीवार और कुछ खड़े पेड़ शामिल हैं। ये मौजूदा विशेषताएँ दर्शाती हैं कि भूमि अधिग्रहण से आंशिक विस्थापन और निर्मित संपत्तियों को हटाने की संभावना हो सकती है, जिसके लिए सावधानीपूर्वक योजना और शमन आवश्यक है।

यद्यपि भूमि की वर्तमान स्थिति कुछ चुनौतियाँ और संभावित संघर्ष प्रस्तुत करती है, फिर भी इनका सक्रिय रूप से समाधान किया जाना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि अधिग्रहण प्रक्रिया सामाजिक व्यवधान को कम करने के परियोजना के उद्देश्य के अनुरूप हो। बहुउद्देशीय खेल परिसर के सुचारू और समय पर कार्यान्वयन के लिए उचित पुनर्वास उपाय और हितधारकों की भागीदारी आवश्यक होगी।

अध्याय-4

प्रभावित परिवारों और परिसंपत्तियों का आकलन और गणना

यह अध्याय खेल परिसर के निर्माण हेतु प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होने वाले परिवारों और व्यक्तियों का विस्तृत आकलन और गणना प्रस्तुत करता है। यह प्रभावित क्षेत्र में निजी संपत्तियों और सार्वजनिक भूमि उपयोग निर्भरताओं, दोनों पर पड़ने वाले प्रभाव की जाँच करता है। एक व्यापक प्राथमिक सर्वेक्षण से एकत्रित आँकड़ों के आधार पर, यह अध्याय यह आकलन करता है कि अधिग्रहण स्थानीय समुदायों की आजीविका, परिसंपत्तियों और सामाजिक-आर्थिक स्थितियों को कैसे प्रभावित कर सकता है। इस विश्लेषण का उद्देश्य संभावित सामाजिक परिवर्तनों और व्यवधानों की स्पष्ट समझ प्रदान करना है, जिससे प्रभावित आबादी के लिए उपयुक्त शमन और पुनर्वास रणनीतियों की जानकारी मिल सके।

4.1 प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित व्यक्ति और उनकी आजीविका

7561-06 वर्ग डेसी मीटर निजी भूमि के प्रस्तावित अधिग्रहण से एक परिवार सीधे तौर पर प्रभावित होगा। यह भूमि श्री लाल चंद के स्वामित्व में है, जो खेल परिसर के नियोजित स्थल के निकट एक भूखंड पर रहते हैं। उनकी आजीविका के प्राथमिक स्रोतों में स्वरोजगार और कृषि गतिविधियाँ शामिल हैं। इस प्रकार, अधिग्रहण से भौतिक विस्थापन हो सकता है और उनकी आवासीय सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। यह सामाजिक व्यवधान को कम करने के उद्देश्य के अनुरूप, आजीविका बहाली उपायों और उचित मुआवजे के साथ-साथ एक सुव्यवस्थित पुनर्वास योजना को लागू करने के महत्व को रेखांकित करता है।

प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवार के अलावा, आसपास का क्षेत्र अन्य परिवारों को भी शामिल नहीं करता है जिन पर अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ सकता है। इनमें शामिल हैं:

- तीन व्यक्ति निजी क्षेत्र की नौकरियों में कार्यरत हैं, जो भूमि-आधारित आजीविका के बजाय वेतनभोगी आय पर निर्भर हैं।
- एक व्यक्ति सरकारी नौकरी में कार्यरत है, जो भूमि-आधारित आजीविका के बजाय वेतनभोगी आय पर निर्भर है।
- पाँच व्यक्ति पेंशनभोगी हैं, जिनमें दो विधवाएँ विधवा पेंशन प्राप्त कर रही हैं, जो सीमित आर्थिक गतिविधि और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं पर आंशिक वित्तीय निर्भरता को दर्शाता है।

- एक व्यक्ति खेतीबाड़ी करता है, जो अपनी प्राथमिक आजीविका के लिए सीधे तौर पर ज़मीन पर निर्भर है।
- एक व्यक्ति छात्र है।
- अन्य दो स्व-रोज़गार गतिविधियों में लगे हैं।

हालाँकि ये परिवार प्रत्यक्ष रूप से विस्थापित हैं, फिर भी समावेशी और समुदाय-संवेदनशील विकास सुनिश्चित करने के लिए व्यापक प्रभाव मूल्यांकन में उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थितियों पर विचार किया जाना चाहिए।

इस मिश्रित आजीविका पैटर्न से पता चलता है कि जहाँ कुछ परिवार अपनी जीविका के लिए भूमि पर निर्भर हैं, वहीं एक बड़ा हिस्सा गैर-कृषि आय स्रोतों पर निर्भर है। हालाँकि, आवासीय सुरक्षा, सहायक बुनियादी ढाँचे और पूरक आय सुनिश्चित करने में भूमि अभी भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

4.2 किरायेदार/कब्जाधारी

मूल्यांकन प्रक्रिया के एक भाग के रूप में किए गए प्राथमिक सर्वेक्षण के दौरान, यह पाया गया कि अधिग्रहण के लिए प्रस्तावित भूमि पर कोई पट्टाधारक या अधिभोगी मौजूद नहीं थे।

4.3 साझा संपत्ति संसाधनों (सीपीआर) पर निर्भरता

सर्वेक्षण में अधिग्रहण के लिए प्रस्तावित भूमि पर कई साझा संपत्ति संसाधनों (सीपीआर) की उपस्थिति की पहचान की गई, जिनमें दो जल भंडारण टैंक, कुछ खड़े पेड़ और तीन बिजली के खंभे शामिल हैं। ये संसाधन साझा उपयोगिता वाले हैं और आसपास के समुदाय के लिए उपयोगी हो सकते हैं, जिससे किसी भी संभावित व्यवधान को कम करने के लिए उचित पुनर्वास या पुनर्स्थापन उपायों की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया है।

4.4 अनुसूचित जनजातियाँ और पारंपरिक वनवासी

अध्ययन क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति श्रेणी में आने वाला कोई भी प्रभावित परिवार नहीं है और न ही कोई पारंपरिक वनवासी ऐसा है जिसने अपने किसी भी वन अधिकार को खो दिया हो।

4.5 राज्य सरकार द्वारा आवंटित भूमि

यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि अधिग्रहण के लिए प्रस्तावित क्षेत्र में राज्य सरकार द्वारा अपनी किसी भी योजना के तहत किसी भी व्यक्ति को भूमि आवंटित नहीं की गई है।

अध्याय-5

सामाजिक-आर्थिक एवं सांस्कृतिक रूपरेखा

यह अध्याय परियोजना क्षेत्र में प्रभावित समुदायों की सामाजिक-आर्थिक और सांस्कृतिक विशेषताओं का गहन विश्लेषण प्रस्तुत करता है। यहाँ प्रस्तुत जानकारी प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण से प्रभावित होने वाली आबादी की जनसांख्यिकीय संरचना, आय के स्रोतों, व्यावसायिक स्वरूपों, शिक्षा के स्तर और सांस्कृतिक प्रथाओं को समझने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त, यह अध्याय सामुदायिक अवसंरचना, सामाजिक नेटवर्क और सांस्कृतिक विरासत का भी अध्ययन करता है, जो मिलकर सामाजिक गतिशीलता और आजीविका का एक व्यापक अवलोकन प्रस्तुत करते हैं। प्राथमिक सर्वेक्षणों, फोकस समूह चर्चाओं और द्वितीयक स्रोतों के संयोजन से आँकड़े एकत्र किए गए, जिससे आबादी और उसकी संभावित कमज़ोरियों की समग्र समझ सुनिश्चित हुई।

5.1 परियोजना क्षेत्र में परियोजना से प्रभावित लोगों की जनसांख्यिकीय रूपरेखा

हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले में स्थित एक विकासशील शहर नादौन को प्रस्तावित विकास परियोजना के लिए स्थल के रूप में पहचाना गया है। नगर पंचायत नादौन द्वारा प्रशासित, यह शहर धीरे-धीरे एक स्थानीय आर्थिक और सामाजिक केंद्र के रूप में उभर रहा है। यह जनसांख्यिकीय रूपरेखा 4430 जनसंख्या द्वारा प्रस्तुत की गई है, जिसमें 2266 पुरुष और 2164 महिलाएं हैं, जैसा कि भारत की 2011 की जनगणना द्वारा जारी रिपोर्ट में बताया गया है। नगर पंचायत का अधिकार क्षेत्र 5.93 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है, जिसमें लगभग 2,955 घर और 268 व्यावसायिक प्रतिष्ठान शामिल हैं और यह आवासीय और व्यावसायिक दोनों गतिविधियों में लगी एक मध्यम घनी आबादी को दर्शाता है, जो शहर की बढ़ती जीवंतता और शहरी चरित्र को दर्शाता है। इस संदर्भ में, प्रस्तावित परियोजना का स्थानीय आबादी और व्यवसायों पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ने की संभावना है, इसलिए यह सुनिश्चित करने के लिए सावधानीपूर्वक योजना, समावेशी हितधारक परामर्श और लक्षित शमन रणनीतियों की आवश्यकता है कि विकास न्यायसंगत और टिकाऊ दोनों हो।

5.1 परियोजना क्षेत्र में परियोजना से प्रभावित लोगों की जनसांख्यिकीय रूपरेखा

हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले में स्थित एक विकासशील शहर नादौन को प्रस्तावित विकास परियोजना के लिए स्थल के रूप में पहचाना गया है। नगर पंचायत नादौन द्वारा प्रशासित, यह शहर धीरे-धीरे एक स्थानीय आर्थिक और सामाजिक केंद्र के रूप में उभर रहा है। यह जनसांख्यिकीय रूपरेखा 4430 जनसंख्या द्वारा प्रस्तुत की गई है, जिसमें 2266 पुरुष और 2164 महिलाएं हैं, जैसा कि भारत की 2011 की जनगणना द्वारा जारी रिपोर्ट में बताया गया

है। नगर पंचायत का अधिकार क्षेत्र 5.93 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है, जिसमें लगभग 2,955 घर और 268 व्यावसायिक प्रतिष्ठान शामिल हैं और यह आवासीय और व्यावसायिक दोनों गतिविधियों में लगी एक मध्यम घनी आबादी को दर्शाता है, जो शहर की बढ़ती जीवंतता और शहरी चरित्र को दर्शाता है। इस संदर्भ में, प्रस्तावित परियोजना का स्थानीय आबादी और व्यवसायों पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ने की संभावना है, इसलिए यह सुनिश्चित करने के लिए सावधानीपूर्वक योजना, समावेशी हितधारक परामर्श और लक्षित शमन रणनीतियों की आवश्यकता है कि विकास न्यायसंगत और टिकाऊ दोनों हो।

5.1.1 परियोजना प्रभावित लोगों की विशेषताएँ:

प्रभावित लोगों की सामाजिक विशेषताओं का वर्णन निम्नलिखित अध्यायों में किया गया है।

5.1.1.1 लिंग:

परियोजना प्रभावित लोगों का लिंग के आधार पर वर्गीकरण तालिका 5.1 में दिया गया है। यह स्पष्ट है कि परियोजना प्रभावित लोगों में 44.44 प्रतिशत पुरुष और 55.56 प्रतिशत महिलाएँ हैं।

तालिका: 5.1 प्रभावित लोगों का लिंग-वार वर्गीकरण

क्रम संख्या	ग्राम का नाम	पुरुष	महिला	कुल
1	डोली घराना	16 (44.44)	20 (55.56)	36(100.00)

5.1.1.2 धर्म:

अध्ययन में यह स्पष्ट हुआ कि कुल 100.00% लोग हिंदू समुदाय से हैं।

5.1.1.3 जाति वर्ग:

प्रभावित लोगों का जाति-वार वर्गीकरण तालिका 5.2 में दिया गया है। तालिका से यह दर्शाया गया है कि 8.34 प्रतिशत प्रभावित लोग सामान्य वर्ग से और 91.66 प्रतिशत अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित हैं।

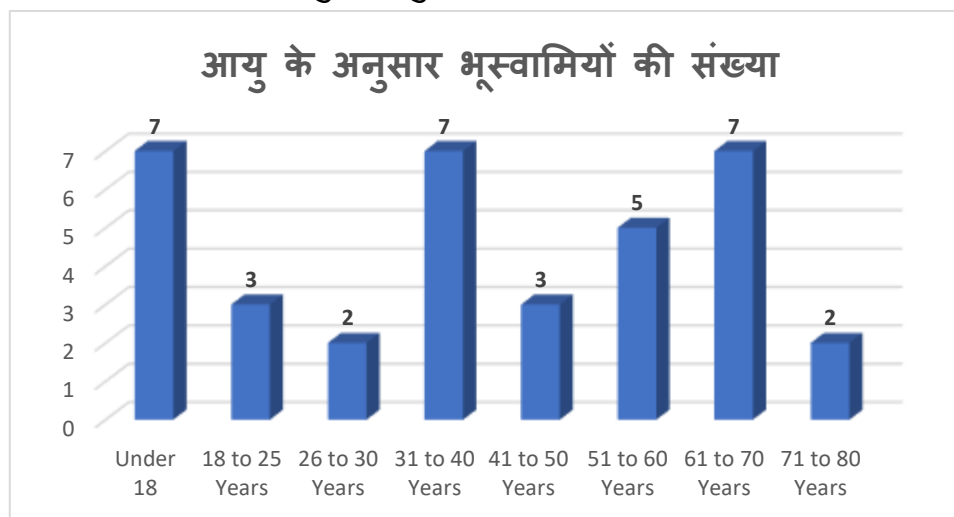
तालिका 5.2 प्रभावित लोगों का जाति-वार वर्गीकरण

क्रम संख्या	ग्राम का नाम	सामान्य	अन्य पिछड़ा वर्ग	कुल
1	डोली घराना	03(8.34%)	33(91.66%)	36(100.00)

5.1.1.4 आयु:

प्रभावित लोगों का आयु वर्गीकरण ग्राफ 5.1 में दर्शाया गया है। तालिका से पता चलता है कि 19.44 प्रतिशत लोग 18 वर्ष से कम आयु के हैं (कुल 7), 8.33 प्रतिशत लोग 18 से 25 वर्ष

की आयु के हैं (कुल 3), 5.55 प्रतिशत लोग 26 से 30 वर्ष की आयु के हैं (कुल 2), 19.44 प्रतिशत लोग 31 से 40 वर्ष की आयु के हैं (कुल 9), 8.33 प्रतिशत लोग 41 से 50 वर्ष की आयु के हैं (कुल 3), 13.88 प्रतिशत लोग 51 से 60 वर्ष की आयु के हैं (कुल 5), 19.44 प्रतिशत लोग 61 से 70 वर्ष की आयु के हैं (कुल 7) और शेष 5.55 प्रतिशत लोग 71 से 80 वर्ष की आयु के हैं (कुल 2)। सबसे छोटी आयु एक लड़के और एक लड़की के लिए 8 वर्ष दर्ज की गई है तथा सबसे अधिक आयु एक पुरुष की 75 वर्ष दर्ज की गई है।



5.2 परियोजना प्रभावित लोगों की साक्षरता:

सर्वेक्षण में परियोजना प्रभावित परिवारों (पीएएफ) की साक्षरता प्रोफाइल को शामिल किया गया है, जिसमें योग्यताओं का वितरण तालिका 5.2 में विस्तृत रूप से दर्शाया गया है। प्रभावित व्यक्तियों में से, 2.82% (1 व्यक्ति) निरक्षर पाए गए, जबकि 16.66% (6 व्यक्ति) ने प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और स्नातक डिग्री सहित विभिन्न स्तरों पर शिक्षा प्राप्त की थी। इसके अतिरिक्त, 13.88% उत्तरदाता स्नातकोत्तर थे। यह आँकड़ा प्रभावित आबादी के शैक्षिक प्राप्ति स्तरों की जानकारी प्रदान करता है, जो उचित पुनर्वास और आजीविका बहाली उपायों को डिज़ाइन करने के लिए महत्वपूर्ण है।

तालिका 5.2 शैक्षिक योग्यता के अनुसार प्रभावित लोगों का वर्गीकरण

क्रम संख्या	ग्राम का नाम	निरक्षर	प्राथमिक	उच्च प्राथमिक	हाई स्कूल	इंटरमीडिएट	स्नातक	स्नातकोत्तर	कुल
1	डोली घराना	01(2.82)	06(16.66)	06(16.66)	06(16.66)	06(16.66)	06(16.66)	05(13.88)	36 (100.00)

5.3 व्यवसाय और आय

5.3.1 व्यवसाय:

प्रभावित भूस्वामियों का व्यावसायिक वर्गीकरण तालिका 5.4 में प्रस्तुत किया गया है, जो प्रभावित व्यक्तियों की आजीविका के प्राथमिक स्रोतों पर प्रकाश डालता है। आँकड़ों से पता चलता है कि अधिकांश भूस्वामी पेंशनभोगी हैं, जो सेवानिवृत्ति के बाद की आय पर निर्भरता को दर्शाता है। अन्य व्यावसायिक श्रेणियों में कृषि, सरकारी और निजी क्षेत्र में रोज़गार, स्वरोज़गार और छात्र शामिल हैं। प्रभावित परिवारों की सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि को समझने और उपयुक्त पुनर्वास एवं आजीविका सहायता रणनीतियों की योजना बनाने के लिए यह वर्गीकरण आवश्यक है।

तालिका 5.4 मुख्य व्यवसाय के अनुसार भूस्वामियों का वर्गीकरण

क्रम संख्या	ग्राम का नाम	खेती	सरकारी नौकरी	पेंशनभोगी	निजी नौकरी	स्व-कार्य	छात्र	कुल
1	डोली घराना	1 (7.69)	1 (7.69)	5 (38.46)	3 (23.07)	2 (15.38)	1(7.69)	13

5.3.2 आय

प्रभावित भूस्वामियों की मासिक आय के अनुसार आय का विवरण तालिका 5.5 में दिया गया है।

तालिका के अवलोकन से पता चलता है कि 46.15 प्रतिशत (कुल 6) प्रभावित भूस्वामियों की आय 10,001 रुपये से 20,000 रुपये के बीच है, जो दर्शाता है कि एक महत्वपूर्ण हिस्सा कम आय का सामना कर रहा है, जो आर्थिक असमानताओं या कम वेतन वाले काम के प्रचलन की ओर इशारा कर सकता है और केवल 7.09 प्रतिशत (कुल 1) की आय 0.5 लाख रुपये से अधिक है, जो दर्शाता है कि वे अपेक्षाकृत उच्च आय का आनंद ले रहे हैं। कई उत्तरदाताओं ने इस प्रश्न के लिए अपनी आय का विवरण नहीं देना चुना।

तालिका: 5.5 मासिक आय के अनुसार भूस्वामियों का वर्गीकरण

क्रम संख्या	मासिक आय	भूमि मालिकों की संख्या
1	10000 से कम	02(15.38)
2	10001 से 20000 तक	06(46.15)
2	20001 से 50000 तक	04(30.76)
4	50001 से 100000 तक	01(07.69)
कुल		13(100.00)

5.4 असुरक्षित समूह:

मूल्यांकन प्रक्रिया के एक भाग के रूप में किए गए प्राथमिक सर्वेक्षण के दौरान, यह पाया गया कि अधिग्रहण के लिए प्रस्तावित भूमि पर कोई भी दिहाड़ी मजदूर मौजूद नहीं था। हालाँकि, इस भूमि पर स्व-रोज़गार गतिविधियों में लगे व्यक्ति अपने और अपने परिवार के भरण-पोषण के लिए पूरी तरह से दैनिक आय पर निर्भर हैं। उनकी आजीविका में किसी भी प्रकार का व्यवधान उनकी बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने की क्षमता पर तत्काल और महत्वपूर्ण प्रभाव डालेगा।

पर्याप्त मुआवज़े या वैकल्पिक सहायता तंत्र के बिना, इन परिवारों को आय के नए स्रोत स्थापित करने में कठिनाई हो सकती है। इसका प्रभाव दीर्घकालिक होने की संभावना है, क्योंकि सीमित कौशल या वित्तीय बाधाओं के कारण, उन्हें अपने व्यावसायिक कार्यों को स्थानांतरित करने या वैकल्पिक रोज़गार हासिल करने में काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। यह स्थिति उनकी आर्थिक असुरक्षा को बढ़ा सकती है और संभावित रूप से उन्हें गरीबी में धकेल सकती है।

5.5 नातेदारी पैटर्न:

हिमाचल प्रदेश में, भूमि का स्वामित्व मुख्यतः वंशानुगत है, और अधिकार आमतौर पर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होते रहते हैं। राज्य के नियमों के अनुसार, गैर-निवासियों (प्रवासियों) को राज्य में भूमि खरीदने की अनुमति नहीं है। परिणामस्वरूप, इस क्षेत्र में अधिकांश भूमि जोत पैतृक प्रकृति की हैं और आम तौर पर कानूनी उत्तराधिकारियों के बीच समान रूप से विभाजित की जाती हैं, जब तक कि किसी वैध वसीयत द्वारा अन्यथा निर्देशित न किया जाए।

शिमला शहर में, स्वतंत्रता-पूर्व युग की बड़ी संख्या में संपत्तियों के कारण संपत्ति का स्वामित्व और भी जटिल हो जाता है। इनमें से कई पर समय के साथ उन व्यक्तियों ने कब्जा कर लिया है जो अब स्वामित्व अधिकारों का दावा करते हैं, जिसके कारण जटिल और अक्सर विवादित संपत्ति दावे सामने आते हैं। यह ऐतिहासिक संदर्भ शिमला में भूमि और संपत्ति के अधिकारों की जटिलता में महत्वपूर्ण योगदान देता है।

परियोजना प्रभावित स्थल पर, महिलाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं

परियोजना प्रभावित क्षेत्र में, घरेलू कामकाज में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, और अधिकांश घरेलू ज़िम्मेदारियाँ उन्हीं पर आती हैं। हालाँकि, उनके श्रम के आर्थिक योगदान को अक्सर कम आंका जाता है और औपचारिक रूप से मान्यता नहीं दी जाती, लेकिन यहाँ तीन

परियोजना प्रभावित परिवारों, श्रीमती करतार देवी, श्रीमती कृष्णा देवी और श्रीमती भारमी देवी, को अपने पतियों से स्वामित्व अधिकार प्राप्त हैं और वे पेंशन भी प्राप्त कर रही हैं।

5.6 प्रशासनिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और नागरिक समाज संगठन

हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में सभी प्रमुख प्रशासनिक प्रभाग, राजनीतिक संस्थाएँ, साथ ही सांस्कृतिक और नागरिक समाज संगठन स्थित हैं। ये संस्थाएँ विकासात्मक पहलों और सरकारी नीतिगत निर्णयों को आकार देने और प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। परिणामस्वरूप, शिमला में परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया और सामाजिक प्रभाव आकलन (एसआईए) में इन प्रमुख हितधारकों की सक्रिय भागीदारी और निगरानी आवश्यक है।

5.6.1 प्रशासनिक ढाँचा

शिमला का प्रशासन मुख्य रूप से नगर परिषद, नादौन, हिमाचल प्रदेश द्वारा प्रबंधित किया जाता है, और इसकी अध्यक्षता उप-विभागीय मजिस्ट्रेट (एसडीएम), नादौन द्वारा की जाती है, जो शहर के भीतर शहरी नियोजन, भूमि उपयोग विनियमन और बुनियादी ढाँचे के विकास के लिए जिम्मेदार है। इसके अतिरिक्त, कई राज्य-स्तरीय विभाग—जैसे हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी), नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, और शहरी विकास विभाग—बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं की योजना और क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आयुक्त दिन-प्रतिदिन के प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और सरकारी नीतियों के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करते हैं, राज्य के निर्देशों और स्थानीय शासन के बीच संरेखण बनाए रखते हैं।

हिमाचल प्रदेश की राजधानी होने के नाते, शिमला एक राजनीतिक केंद्र के रूप में भी कार्य करता है, जहाँ सभी प्रमुख राजनीतिक दलों के कार्यालय स्थित हैं और यह राज्य की प्रमुख राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र भी है।

5.6.2 सांस्कृतिक विचार

व्यास नदी के शांत तट पर बसा नादौन न केवल अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए, बल्कि अपने समृद्ध सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व के लिए भी प्रसिद्ध है। ज्वालामुखी मंदिर जैसे प्रतिष्ठित तीर्थस्थलों और कांगड़ा किले जैसे ऐतिहासिक स्थलों के लिए एक प्रमुख पारगमन बिंदु के रूप में, यह शहर क्षेत्र की विरासत और परंपराओं से गहरा जुड़ाव रखता है।

अपने सांस्कृतिक महत्व और तीर्थयात्रियों व पर्यटकों के लिए बढ़ते आकर्षण के बावजूद, नादौन में ऐतिहासिक रूप से आवश्यक बुनियादी ढाँचे का अभाव रहा है—विशेषकर खेल और सार्वजनिक मनोरंजन स्थलों के क्षेत्र में—जो इसके निवासियों और आगंतुकों, दोनों की बदलती ज़रूरतों को

पूरा कर सके। प्रस्तावित बहुउद्देशीय खेल परिसर को एक सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील पहल के रूप में देखा जा रहा है जो इस कमी को पूरा करेगा, सामुदायिक कल्याण को बढ़ावा देगा और साथ ही शहर के सांस्कृतिक परिदृश्य को भी संवर्धित करेगा। इसका उद्देश्य एक ऐसा स्थान प्रदान करके समावेशी क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देना है जो शारीरिक गतिविधि, सामाजिक जुड़ाव और स्थानीय परंपराओं के प्रति सम्मान को प्रोत्साहित करता है।

5.6.3 नागरिक समाज संगठन

नादौन में कुछ सक्रिय नागरिक समाज संगठन (सीएसओ) और गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) हैं जो सामाजिक न्याय, पर्यावरण संरक्षण और प्रभावित समुदायों के अधिकारों की वकालत सहित विभिन्न क्षेत्रों में काम करते हैं। ये संगठन सामाजिक प्रभाव आकलन (एसआईए) प्रक्रिया के दौरान पारदर्शिता को बढ़ावा देने, जवाबदेही सुनिश्चित करने और सार्थक जन भागीदारी को सुगम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

प्रशासनिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक संस्थाओं के साथ मिलकर, ये नागरिक समाज कार्यकर्ता विकास के प्रति अधिक पारदर्शी, समावेशी और सहभागी दृष्टिकोण में योगदान करते हैं। उनकी भागीदारी यह सुनिश्चित करने में मदद करती है कि बुनियादी ढाँचा परियोजनाएँ—जैसे सड़क निर्माण—ऐसे तरीके से संचालित की जाएँ जो सामाजिक, पर्यावरणीय और सांस्कृतिक विचारों का सम्मान और एकीकरण करती हों।

5.7 क्षेत्रीय गतिशीलता और ऐतिहासिक परिवर्तन प्रक्रियाएँ

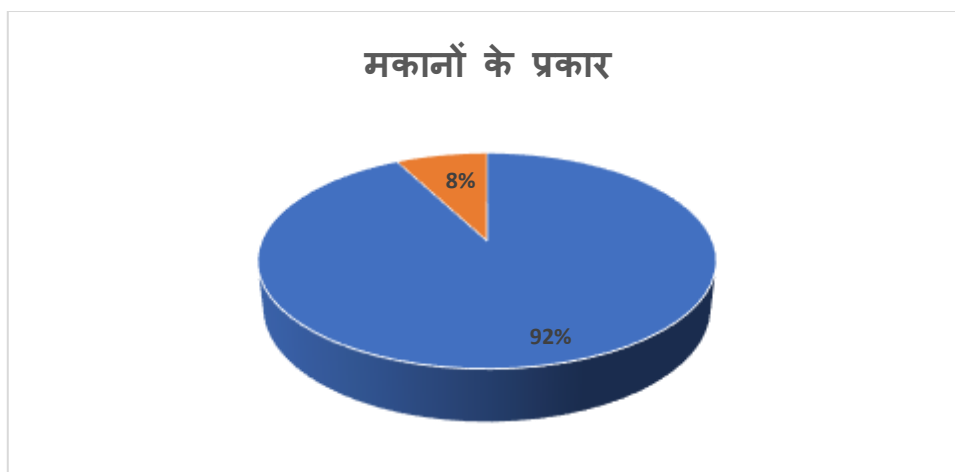
नादौन की क्षेत्रीय गतिशीलता पिछले कुछ वर्षों में बदली है, अब स्थानीय प्रशासन के लिए एक तहसील है और इसके उल्लेखनीय ऐतिहासिक संबंध भी हैं। यह शहर पूर्व में कटोच राजवंश से जुड़ा था और पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बीच एक व्यापार केंद्र के रूप में महत्वपूर्ण है। शहर की पहचान एक रियासत की जागीर से एक प्रमुख प्रशासनिक और व्यापारिक केंद्र के रूप में बदल गई है।

5.8 रहने के वातावरण की गुणवत्ता:

प्रभावित भूस्वामियों का विवरण निम्नलिखित पैमानों में प्रस्तुत किया गया है:

5.8.1 घरों के प्रकार:

प्रभावित भूस्वामियों के घरों के प्रकारों का विवरण ग्राफ 5.2 में दर्शाया गया है। यह स्पष्ट किया गया कि 92.30 प्रतिशत (कुल 12) भूस्वामियों के पास पक्के घर थे और 7.70 प्रतिशत (कुल 1) भूस्वामियों के पास कच्चा घर था।



5.8.2 बिजली कनेक्शन की उपलब्धता:

सर्वेक्षण के दौरान, यह पाया गया कि सभी भूस्वामियों के पास बिजली कनेक्शन है।

5.8.3 पेयजल स्रोत:

प्रभावित भूस्वामियों के पेयजल स्रोत का विवरण तालिका 5.6 में दिया गया है। यह स्पष्ट था कि 100 प्रतिशत पेयजल स्रोत की आपूर्ति जल जीवन मिशन और जल शक्ति विभाग (आईपीईएच) के अंतर्गत पाइपलाइनों के माध्यम से की जाती है।

तालिका 5.6 पेयजल स्रोतों के अनुसार भूस्वामियों का वर्गीकरण

क्रम संख्या	ग्राम का नाम	कुल
1	डोली घराना	13(100.00)

5.8.4 सिंचाई के स्रोत:

प्रभावित भूस्वामियों द्वारा सिंचाई के मुख्य स्रोतों को तालिका 5.7 में वर्गीकृत किया गया है। प्रभावित भूस्वामियों द्वारा सिंचाई गतिविधियाँ जल टैंकों के माध्यम से की जाती थीं और वर्षा जल पर भी निर्भर थीं।

तालिका 5.7 सिंचाई स्रोत का स्थान

क्रम संख्या	ग्राम का नाम	स्रोत	स्थिति
1	डोली घराना	पानी की टंकी	हाँ

5.8.5 शौचालयों की उपलब्धता:

प्रभावित भूस्वामियों के घरों में शौचालयों की उपलब्धता का विवरण तालिका 5.8 में दिया गया है। यह स्पष्ट रूप से देखा गया कि 69.23 प्रतिशत भूस्वामियों ने अपने परिसर में शौचालय बनवाए थे, जबकि शेष 30.77 प्रतिशत भूस्वामियों ने अपने परिसर के बाहर शौचालय बनवाए थे।

तालिका 5.8 शौचालयों की उपलब्धता के अनुसार भूस्वामियों का वर्गीकरण

क्रम संख्या	ग्राम का नाम	हाँ	नहीं	कुल
1	डोली घराना	09(69.23)	04(30.77)	13(100.00)

5.8.6 रसोई की उपलब्धता:

प्रभावित भूस्वामियों के घरों में अलग रसोई की उपलब्धता तालिका 5.9 में दी गई है। यह देखा गया कि 69.23 प्रतिशत (कुल 9) प्रभावित भूस्वामियों के घरों में रसोई उपलब्ध है, जबकि शेष 30.77 प्रतिशत (कुल 4) भूस्वामियों के घरों के बाहर रसोई है।

तालिका: 5.9 रसोई की उपलब्धता के अनुसार वर्गीकरण

क्रम संख्या	ग्राम का नाम	हाँ	नहीं	कुल
1	डोली घराना	09(69.23)	04(30.77)	13(100.00)

5.8.7 खाना पकाने के लिए प्रयुक्त ईंधन:

खाना पकाने के लिए प्रयुक्त ईंधन के संदर्भ में भूस्वामियों का विवरण तालिका 5.10 में दिया गया है। यह स्पष्ट है कि 76.93 प्रतिशत भूस्वामी खाना पकाने के लिए एलपीजी गैस का उपयोग कर रहे हैं, जबकि शेष 23.07 प्रतिशत भूस्वामी खाना पकाने के लिए ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग कर रहे हैं।

तालिका 5.10 खाना पकाने के लिए प्रयुक्त ईंधन

क्रम संख्या	ग्राम का नाम	एलपीजी गैस	लकड़ी	कुल
1	डोली घराना	10(76.93)	03(23.07)	13(100.00)

5.8.8 ऋणग्रस्तता की स्थिति:

साक्षात्कार किए गए परिवारों की ऋणग्रस्तता की स्थिति तालिका 5.11 में दी गई है। साक्षात्कार में शामिल 13 भूस्वामियों में से केवल 01 भूस्वामी (7.7%) ऋणग्रस्त थे। तालिका 5.11 प्रभावित भूस्वामियों पर किसी वित्तीय संस्थान या साहूकार का ऋण है।

क्रम संख्या	ग्राम का नाम	हाँ	नहीं	कुल
1	डोली घराना	01(7.7)	12(92.30)	13(100.00)

5.8.9 ऋण का उद्देश्य:

अध्ययन में यह स्पष्ट हुआ कि 01 भूस्वामी ने अपने निजी उपयोग के लिए ऋण लिया है।

5.8.10 राशन कार्ड

सर्वेक्षण के दौरान यह स्पष्ट हुआ कि 100.00 प्रतिशत प्रभावित भूस्वामियों के पास एपीएल राशन कार्ड थे।

5.8.11 चिकित्सा सुविधा:

प्रभावित भूस्वामियों के अनुसार विभिन्न प्रकार के उपचार के लिए तय की जाने वाली दूरी, जिन्हें उपचार के लिए 3 किमी की दूरी तय करनी पड़ती है।

5.8.12 हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले में बहुउद्देशीय खेल परिसर परियोजना के निर्माण संबंधी जानकारी:

तालिका 5.12 में नादौन, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश में, गाँव खरीदी मैदान के पास, बहुउद्देशीय खेल परिसर परियोजना के निर्माण संबंधी जानकारी दर्शाई गई है। सभी प्रभावित भूमि मालिकों को इस परियोजना के बारे में 100% जानकारी थी।

तालिका: 5.12 हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर ज़िले में बहुउद्देशीय खेल परिसर परियोजना के निर्माण संबंधी जानकारी

क्रम संख्या	ग्राम का नाम	हाँ	कुल
1	डोली घराना	13(100.00)	13(100.00)

5.8.13 अधिग्रहित की जाने वाली भूमि की श्रेणी:

अधिग्रहित की जाने वाली भूमि के प्रकार का विवरण तालिका 5.13 में दिया गया है। यह स्पष्ट था कि 100 प्रतिशत भूमि उपजाऊ है।

तालिका 5.13 अधिग्रहित की जाने वाली भूमि की श्रेणी

क्रम संख्या	ग्राम का नाम	उपजाऊ	कुल
1	डोली घराना	13(100)	(100.00)

5.8.14 भूमि अधिग्रहण हेतु सहमति:

परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण हेतु सहमति का विवरण तालिका 5.14 में दिया गया है। तालिका से पता चलता है कि 57.14 प्रतिशत प्रभावित भूमि मालिक भूमि देने के लिए सहमत नहीं थे। हालाँकि, द्वितीयक लाभार्थी सहमत हैं और बहुउद्देशीय खेल परिसर के विकास के लिए अपनी सकारात्मक सहमति दे रहे हैं।

तालिका 5.14 परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण की सहमति

क्रम संख्या	ग्राम का नाम	हाँ	नहीं	कुल
1	डोली घराना	06(42.86)	08(57.14)	14(100.00)

5.8.15 भूस्वामियों द्वारा बताई गई शर्तें जिन पर वे ज़मीन देने के लिए सहमत हैं, वे हैं:
 प्रभावित भूस्वामियों से यह भी जानकारी प्राप्त की गई कि वे किन शर्तों पर युवा सेवा एवं खेल विभाग को ज़मीन बेचेंगे। इसका एक बड़ा हिस्सा तालिका 5.15 में प्रस्तुत है।
 तालिका 5.15 भूस्वामियों द्वारा बताई गई शर्तें जिन पर वे अपनी ज़मीन देने के लिए सहमत हैं

क्रम संख्या	भूस्वामियों की शर्तें	सहमति/असहमति
1	मामले के निपटारे के बाद	असहमति
2	भूमि अधिग्रहण के बराबर और गुणवत्ता वाली भूमि अन्यत्र दी जाए।	असहमति
3	सरकारी/अर्ध-सरकारी नौकरियाँ दी जाएँ।	असहमति
4	आंशिक निस्तारण के बाद	असहमति
5	बंटवारेदार के आने पर	असहमति
6	विरासत से संबंधित निपटान।	असहमति
7	जब सर्किल रेट बाजार मूल्य के बराबर हो।	सहमति
8	वैकल्पिक रोजगार के लिए भौतिक/यांत्रिक आवेदनों पर वित्तीय सहायता दी जाए।	असहमति
9	अब सुधार के बाद	असहमति

5.8.16 परियोजना के प्रतिकूल प्रभाव:

प्रभावित भूस्वामियों के अनुसार, परियोजना के प्रतिकूल प्रभावों पर चर्चा की गई, जिसका विस्तृत विवरण तालिका 5.16 में दिया गया है।

तालिका 5.16 परियोजना निर्माण के प्रतिकूल प्रभाव

क्रम संख्या	प्रतिकूल प्रभाव	हाँ/नहीं
1	कृषि योग्य भूमि कम हो जाएगी	हाँ
2	प्रदूषण की समस्या बढ़ जाएगी	हाँ
3	आय के स्रोत कम हो जाएँगे	हाँ
4	बाढ़/जलभराव की संभावना	नहीं
5	फसल उत्पादन में गिरावट	हाँ
6	कोई विशेष दुष्प्रभाव नहीं	नहीं

अध्याय 6

सामाजिक प्रभाव

यह अध्याय हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर ज़िले के नादौन स्थित डोली घराना में खेल परिसर के निर्माण हेतु प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण के संभावित सामाजिक प्रभावों का विश्लेषण करता है। यह परियोजना के प्रभावित परिवारों, आसपास के समुदायों और सार्वजनिक अवसंरचना पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों प्रभावों का मूल्यांकन करता है। इस मूल्यांकन में सकारात्मक और नकारात्मक प्रभावों की संतुलित समीक्षा शामिल है, जिसमें आजीविका, रोज़गार, आय स्तर, साझा संसाधनों तक पहुँच, सामाजिक सामंजस्य और सांस्कृतिक प्रथाओं जैसे क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया गया है। प्रस्तुत अंतर्दृष्टियाँ घरेलू सर्वेक्षणों, हितधारक परामर्शों और फोकस समूह चर्चाओं से ली गई हैं, जो इस बात की व्यापक समझ प्रदान करती हैं कि परियोजना प्रभावित क्षेत्र में सामाजिक गतिशीलता और जीवन की गुणवत्ता को किस प्रकार प्रभावित करेगी।

6.1 प्रभावों की पहचान हेतु रूपरेखा और दृष्टिकोण

हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर ज़िले के नादौन स्थित डोली घराना गाँव में बहुउद्देशीय खेल परिसर के निर्माण का सामाजिक प्रभाव आकलन (एसआईए) भूमि अधिग्रहण के कारण उत्पन्न होने वाले संभावित सामाजिक प्रभावों का आकलन करने के लिए किया गया था। एसआईए का उद्देश्य स्थानीय आबादी, समुदायों और सांस्कृतिक प्रणालियों पर परियोजना के संभावित प्रभावों की पहचान करना है। एक निर्णय लेने वाले उपकरण के रूप में, एसआईए परियोजना योजनाकारों को सामाजिक प्रभाव प्रबंधन योजना (एसआईएमपी) के माध्यम से नकारात्मक प्रभावों का पूर्वानुमान लगाने और उन्हें कम करने में मदद करता है। सामाजिक प्रभावों की पहचान के लिए अपनाई गई रूपरेखा और दृष्टिकोण में एक व्यवस्थित और सहभागी प्रक्रिया का पालन किया गया, जिसमें सभी प्रमुख हितधारकों की भागीदारी सुनिश्चित की गई। इस पद्धति में निम्नलिखित क्रमिक चरण शामिल थे

चरण 1: व्यापक सामाजिक संदर्भ और समान परियोजनाओं से प्राप्त सबक को समझने के लिए पृष्ठभूमि अध्ययन करना और प्रासंगिक केस स्टडीज़ की समीक्षा करना।

चरण 2: प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण और विकास गतिविधियों से प्रभावित होने वाले परियोजना प्रभावित व्यक्तियों (पीएपी) और समुदायों की पहचान करना।

चरण 3: प्रभावित परिवारों की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों को व्यापक रूप से समझने के उद्देश्य से एक संरचित प्राथमिक सर्वेक्षण प्रश्नावली तैयार करना।

चरण 4: क्षेत्र-स्तरीय प्राथमिक सर्वेक्षण करना और विस्तृत, प्रत्यक्ष जानकारी एकत्र करने के लिए साक्षात्कार और परामर्श के माध्यम से हितधारकों के साथ जुड़ना।

चरण 5: सार्थक अंतर्दृष्टि प्राप्त करने के लिए रुझानों, सामुदायिक प्रतिक्रिया और सामाजिक-आर्थिक संकेतकों सहित एकत्रित आंकड़ों का व्यवस्थित विश्लेषण करना।

चरण 6: संभावित सामाजिक प्रभावों की पहचान करना, उनकी तीव्रता और महत्व का मूल्यांकन करना, और उन्हें विशिष्ट परियोजना घटकों और स्थानों के लिए भौगोलिक रूप से मैप करना।

इस संरचित दृष्टिकोण ने सामाजिक प्रभावों का एक सुदृढ़ और साक्ष्य-आधारित मूल्यांकन सुनिश्चित किया, जो उचित शमन और प्रबंधन रणनीतियों के निर्माण का आधार बना। संबंधित क्षेत्रों में व्यक्तिगत सर्वेक्षण किए गए, और इन परामर्शों का सारांश इस प्रकार प्रस्तुत किया गया

6.2 परियोजना के विभिन्न चरणों पर प्रभावों का विवरण

इसे तीन प्रमुख चरणों में वर्गीकृत किया जा सकता है: निर्माण-पूर्व, निर्माण, और निर्माण-पश्चात या संचालन। इन चरणों में स्थानीय समुदाय के साथ विभिन्न स्तरों पर जुड़ाव शामिल होगा और इनके सामाजिक परिणाम भी अलग-अलग होंगे। पूर्णतः विस्तृत परियोजना प्रस्ताव या व्यवहार्यता अध्ययन के अभाव में, प्रत्येक चरण पर संभावित प्रभावों का केवल एक सामान्य आकलन ही प्रस्तुत किया जा सकता है। इनका सारांश नीचे दी गई तालिका में दिया गया है।

सामाजिक प्रभाव के चरण:

क. निर्माण-पूर्व चरण:

- भूमि अधिग्रहण और विस्थापन: इस चरण के दौरान, प्राथमिक सामाजिक प्रभाव भूमि अधिग्रहण के इर्द-गिर्द घूमता है। इससे भूमि स्वामी को अपनी पैतृक भूमि का नुकसान हो सकता है।
- सार्वजनिक विरोध: भूमि अधिग्रहण से प्रभावित निवासियों के मालिकों की ओर से चिंताएँ या विरोध हो सकता है या उन्हें संपत्ति के मूल्यों में कमी और अपनी खेती के पुनर्वास का डर हो सकता है।
- मुआवज़ा और पुनर्वास: प्रभावित संपत्ति स्वामियों को मुआवज़ा देने और विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास की सुविधा प्रदान करने की प्रक्रिया को पूरी पारदर्शिता और प्रभावित पक्षों के साथ संवाद के साथ सावधानीपूर्वक संचालित किया जाना चाहिए।

ख. निर्माण चरण:

- यातायात व्यवधान और सड़क सुरक्षा: निर्माण के दौरान, स्थानीय यातायात में व्यवधान हो सकता है, जिससे भीड़भाड़ बढ़ सकती है, कुछ क्षेत्रों तक पहुँच कम हो सकती है, और स्थानीय लोगों की आजीविका पर अस्थायी रूप से असर पड़ सकता है जो व्यापार पर निर्भर हैं।
- शोर, धूल और वायु प्रदूषण: निर्माण गतिविधियों से शोर, धूल और वायु प्रदूषण उत्पन्न होने की संभावना है, जिसका प्रभाव आसपास के पर्यावरण और निवासियों के दैनिक जीवन पर पड़ेगा। नियंत्रित निर्माण प्रक्रियाओं के माध्यम से इन कारकों को कम करना आवश्यक होगा।

- रोज़गार के अवसर: निर्माण चरण स्थानीय श्रमिकों और आपूर्तिकर्ताओं के लिए अल्पकालिक रोज़गार के अवसर प्रदान कर सकता है। हालाँकि, यह एक क्षणिक प्रभाव है और इसे दैनिक जीवन में संभावित व्यवधानों के साथ संतुलित किया जाना चाहिए।

ग. निर्माणोत्तर या संचालन चरण:

आर्थिक विकास: इस खेल परिसर से नादौन शहर को अधिक आकर्षक और सुलभ बनाकर, स्थानीय अर्थव्यवस्था में योगदान देकर, खेल भावना और व्यावसायिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

सामाजिक प्रभाव प्रबंधन योजना (SIMP) का उद्देश्य तीनों चरणों के दौरान परियोजना से जुड़े सकारात्मक प्रभावों को बढ़ाते हुए प्रतिकूल प्रभावों को कम करना है। विभिन्न प्रभावों का विवरण, प्रबंधन उपायों सहित, तालिका 6.1 में दिया गया है।

सामाजिक प्रभाव प्रबंधन योजना परियोजना के प्रत्येक चरण के दौरान संभावित सामाजिक प्रभावों को संबोधित करने का प्रयास करती है। उचित योजना और कार्यान्वयन प्रतिकूल प्रभावों को कम करेगा और परियोजना के दीर्घकालिक लाभों को बढ़ाएगा।

तालिका 6-1: परियोजना चक्र के विभिन्न चरणों में सामाजिक प्रभावों का विवरण

परियोजना चरण	सामाजिक प्रभाव	सामाजिक प्रभाव प्रबंधन उपाय
निर्माण-पूर्व	भूमि अधिग्रहण और मौजूदा संपत्तियों का विस्थापन	प्रभावित परिवारों के साथ विश्वास निर्माण और प्रतिरोध को कम करने के लिए उचित मुआवज़ा, पारदर्शी संचार और निरंतर संपर्क।
निर्माण	यातायात की वजह से बढ़ी भीड़भाड़	यातायात प्रबंधन योजनाएँ, वैकल्पिक मार्ग बनाए जाने चाहिए।
	चल रही निर्माण गतिविधियों से शोर, धूल और वायु प्रदूषण	धूल दमन प्रणाली, ध्वनि अवरोध जैसे ध्वनि और धूल नियंत्रण उपायों का कार्यान्वयन और नियमित निगरानी लागू की जानी चाहिए।
निर्माणोत्तर या परिचालनात्मक	स्थानीय लोगों के लिए अस्थायी रोज़गार	स्थानीय श्रमिकों की नियुक्ति और स्थानीय स्तर पर सामग्री प्राप्त करने को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
परियोजना चरण	खेल गतिविधियों, आयोजनों और संबंधित व्यावसायिक गतिविधियों में वृद्धि के माध्यम से स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा	आर्थिक प्रभावों की नियमित निगरानी और समावेशी विकास रणनीतियों को अपनाया जाना चाहिए।
निर्माण-पूर्व	दीर्घकालिक बुनियादी ढाँचे का रखरखाव	रखरखाव की आवश्यकता

6.3 समूह चर्चा के माध्यम से परियोजना प्रभावित व्यक्तियों (पीएपी) द्वारा अनुभव किए गए प्रभाव

परियोजना प्रभावित व्यक्तियों (पीएपी), विशेष रूप से जिनकी भूमि प्रस्तावित खेल परिसर के विकास के लिए अधिग्रहित की जा रही है, ने परियोजना के संभावित नकारात्मक प्रभावों के बारे में कई चिंताएँ व्यक्त की हैं। इन मुद्दों को गहराई से समझने के लिए, एसआईए टीम ने भूमि अधिग्रहण के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों परिणामों की जाँच करने के लिए वरिष्ठ नागरिकों और अन्य सामुदायिक सदस्यों सहित परियोजना प्रभावित व्यक्तियों के साथ क्षेत्र-स्तरीय चर्चाएँ कीं। इन बातचीत के दौरान, खुली चर्चाओं और सहभागी संवादों के माध्यम से प्रतिभागियों से विस्तृत जानकारी और अंतर्दृष्टि एकत्र की गई। प्रभावित गाँवों में, अधिक गहन सहभागिता को सुगम बनाने के लिए फोकस समूह बनाए गए, जहाँ व्यक्तियों ने भूमि के नुकसान, पुनर्वास की अनिश्चितता और वित्तीय सुरक्षा एवं आजीविका सहायता की माँगों से संबंधित अपनी चिंताएँ व्यक्त कीं। इन व्यापक विचार-विमर्शों ने एसआईए टीम को प्रभावित आबादी पर कथित और वास्तविक प्रभावों का सटीक आकलन करने में सक्षम बनाया, जो समग्र सामाजिक प्रभाव विश्लेषण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना।

6.4 परियोजना के बारे में जागरूकता

आसपास के क्षेत्र के अधिकांश लोग आगामी खेल परिसर के बारे में जानते हैं, खासकर वहाँ चल रही निर्माण गतिविधियों के माध्यम से। इसके अतिरिक्त, हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग (एचपीपीडब्ल्यूडी) द्वारा भूमि पर एक साइनेज बोर्ड लगाया गया है, जो दर्शाता है कि निर्माण कार्य हिमाचल प्रदेश सरकार के युवा सेवा एवं खेल विभाग की ओर से किया जा रहा है। इस साइनेज ने राहगीरों और स्थानीय निवासियों को परियोजना की प्रकृति के बारे में प्रभावी ढंग से सूचित किया है, जिससे परिसर में हो रहे विकास कार्यों के बारे में जन जागरूकता और पारदर्शिता बढ़ी है।

6.5 परियोजना के लिए सहमति

बैठक की शुरुआत में, सामाजिक प्रभाव आकलन रिपोर्ट और सामाजिक प्रभाव प्रबंधन योजना सभी ग्रामीणों के सामने पढ़ी गई और ग्रामीणों से आपत्तियाँ और सुझाव प्राप्त हुए, जो इस प्रकार हैं:

क्रम संख्या	आपत्ति कर्ता	आपत्ति	आपत्ति का समाधान
1	खसरा संख्या 437/1 लालचंद	लाल चंद ने आपत्ति जताई कि इस परियोजना से उनका घर प्रभावित हो रहा है और इसके बाद उनके पास कोई आवासीय भूमि नहीं बचेगी, केवल कृषि योग्य भूमि ही बचेगी।	परिसंपत्तियों का मूल्यांकन किया जाना चाहिए तथा नियमानुसार उचित कार्रवाई की जानी चाहिए।
2	खसरा नंबर 429,561/430/1 कृष्णचंद	कृष्ण चंद ने आपत्ति जताई कि उनके पास बहुत कम ज़मीन है और इस परियोजना के बाद कोई कृषि योग्य भूमि नहीं बचेगी और वे पशुपालन भी नहीं कर पाएँगे।	इसकी जांच की जानी चाहिए और नियमानुसार उचित कार्रवाई की जानी चाहिए।

3	खसरा नंबर 312/1, और 559/430/2 सुनील कुमार अवस्थी	सुनील कुमार अवस्थी ने आपत्ति जताई कि सेवानिवृत्ति के बाद आर्थिक गतिविधि के लिए मुर्गो पालन सुनिश्चित किया गया था।	जहां तक संभव हो इसकी जांच की जाए तथा नियमानुसार उचित कार्रवाई की जाए।
4	खसरा नंबर 437/1 सुभाष चंद	सुभाष चंद ने यह आपत्ति उठाई कि इस परियोजना के बाद उनके पास जमीन ही नहीं बचेगी और आने वाली पीढ़ी को वे क्या दे पाएंगे।	इसकी जांच की जानी चाहिए और नियमानुसार उचित कार्रवाई की जानी चाहिए।

- ❖ सर्वेक्षण के दौरान, 43% लोगों ने कहा कि उन्हें प्रस्तावित अधिग्रहण पर कोई आपत्ति नहीं है, जबकि 57% लोगों ने प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण के प्रति अपनी अनिच्छा व्यक्त की। वे सभी एसआईए प्रक्रिया से अवगत हैं। वे बाजार मूल्य में वृद्धि और दूसरे क्षेत्र में पुनर्वास की मांग कर रहे हैं।
- ❖ प्रभावित भूमि मालिकों द्वारा यह मुद्दा उठाया गया कि भूमि उपजाऊ है और उनकी आजीविका इस पर निर्भर करती है। साथ ही, यह भी ज्ञात था कि शहर से निकटता के कारण इस भूमि का बाजार मूल्य अधिक है।
- ❖ श्री लाल चंद, उन भूस्वामियों में से एक जिनकी भूमि का हिस्सा परियोजना के अंतर्गत अधिग्रहण के लिए प्रस्तावित है, ने अपना हिस्सा छोड़ने की अनिच्छा व्यक्त की है। उनकी चिंताओं को दूर करने और बातचीत में शामिल होने के कई प्रयासों के बावजूद, वह अधिग्रहण का विरोध करना जारी रखे हुए हैं। इसके विपरीत, परियोजना में शामिल अन्य सह-मालिकों ने पहले ही अपनी सहमति दे दी है और भूमि के अपने-अपने हिस्से को छोड़ने पर सहमत हो गए हैं। हितधारकों की राय में यह भिन्नता परियोजना के सुचारु कार्यान्वयन के लिए एक चुनौती प्रस्तुत करती है और पारस्परिक रूप से स्वीकार्य समाधान तक पहुँचने के लिए आगे परामर्श और बातचीत की आवश्यकता हो सकती है।
- ❖ जब प्रतिभागियों से प्रस्तावित विकास योजना के बारे में उनकी आकांक्षाओं और आशंकाओं के बारे में पूछा गया और क्या वे इससे संबंधित कुछ साझा करना चाहेंगे, तो उनमें से अधिकांश ने अपने क्षेत्र के आसपास इस विकास का स्वागत किया।

6.6 मुआवज़ा प्राथमिकताएँ

सर्वेक्षण के दौरान, अधिकांश परियोजना प्रभावित लोगों ने अपने घर बनाने के लिए प्राथमिक स्थान पर ज़मीन और प्रचलित बाज़ार दरों पर नकद मुआवज़ा देने की माँग की। लोगों का मानना है कि इस प्रस्तावित परियोजना के बाद युवाओं का शारीरिक विकास बढ़ेगा। इससे क्षेत्र का तेज़ी से विकास होगा, लेकिन एक व्यक्ति ने इस परियोजना के लिए अपनी ज़मीन देने पर असहमति जताई।

चूँकि भूस्वामी, श्री लाल चंद, परियोजना के लिए अपनी ज़मीन का हिस्सा देने के लिए सहमत नहीं हुए हैं, इसलिए सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन (एसआईए) टीम को बाज़ार मूल्य प्राथमिकताएँ नहीं बताई गई हैं। भूमि अधिग्रहण के खिलाफ़ उनके दृढ़ रुख के कारण मूल्यांकन या बाज़ार

मूल्य/मुआवज़े की शर्तों के बारे में कोई चर्चा या सहमति नहीं बन पाई है, जिससे यह पहलू अनसुलझा रह गया है।

अध्याय-7

लागत और लाभ विश्लेषण, अधिग्रहण संबंधी अनुशंसाएँ

हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले की नादौन तहसील के एक गाँव में स्थापित सुनियोजित "हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले में बहुउद्देशीय खेल परिसर परियोजना" के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभावों का सावधानीपूर्वक विश्लेषण करने के बाद, एसआईए टीम ने लागत और लाभों की तुलना की। इस अध्याय में लाभों और संबंधित लागतों का विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है।

7.1 परियोजना से सार्वजनिक उद्देश्य का आकलन:

डोली घराना, नादौन में बहुउद्देशीय खेल परिसर एक परिवर्तनकारी परियोजना है जिसका उद्देश्य हिमाचल प्रदेश के युवाओं में आर्थिक विकास, कौशल विकास, शारीरिक फिटनेस और खेल कौशल में सुधार लाना और राज्य के राजस्व में वृद्धि करना है।

आर्थिक विकास: इस खेल परिसर की स्थापना से आसपास के क्षेत्र में वस्तुओं और सेवाओं की माँग में वृद्धि के कारण स्थानीय आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। बढ़ी हुई खेल गतिविधियाँ खिलाड़ियों, दर्शकों और आगंतुकों को आकर्षित करेंगी, जिससे अधिक संख्या में लोग आएंगे और स्थानीय खुदरा, खाद्य सेवाएँ, आवास और परिवहन जैसी व्यावसायिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। इसके अतिरिक्त, यह परिसर निर्माण और संचालन, दोनों चरणों के दौरान रोजगार के अवसर पैदा करेगा। प्रवेश शुल्क, आयोजन और सहायक सेवाओं से प्राप्त राजस्व स्थानीय और राज्य की आय में योगदान देगा, जिससे क्षेत्र में सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।

शारीरिक स्वास्थ्य: सामाजिक प्रभाव आकलन (एसआईए) के संदर्भ में, प्रस्तावित खेल परिसर से स्थानीय आबादी को संरचित शारीरिक गतिविधि और मनोरंजक बुनियादी ढांचे तक पहुँच बढ़ाकर पर्याप्त शारीरिक स्वास्थ्य लाभ मिलने की उम्मीद है। यह सुविधा स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने, निष्क्रिय व्यवहार को कम करने और मोटापा, हृदय रोग, मधुमेह और मस्कुलोस्केलेटल विकारों जैसे संबंधित स्वास्थ्य जोखिमों को कम करने में उत्प्रेरक का काम करेगी। युवाओं, वयस्कों और बुजुर्गों द्वारा परिसर के नियमित उपयोग से सामुदायिक फिटनेस के स्तर में सुधार, प्रतिरक्षा को मजबूत करने और समग्र कल्याण में योगदान करने की उम्मीद है। इसके अतिरिक्त, खेल परिसर शारीरिक पुनर्वास का समर्थन करेगा और एक निवारक स्वास्थ्य हस्तक्षेप के रूप में काम करेगा, जिससे सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालियों पर दीर्घकालिक बोझ कम होगा। ये लाभ परियोजना के व्यापक सामाजिक उद्देश्य के अनुरूप हैं, जो जीवन की गुणवत्ता में सुधार और स्वास्थ्य-उन्मुख बुनियादी ढांचे के माध्यम से समावेशी विकास को बढ़ावा देता है।

राज्य राजस्व: खेल परिसर को "पे एंड प्ले" मॉडल के तहत संचालित करने का प्रस्ताव है, जिसे राज्य के लिए स्थायी राजस्व उत्पन्न करते हुए सार्वजनिक पहुँच सुनिश्चित करने के

लिए डिज़ाइन किया गया है। यह मॉडल समाज के सभी वर्गों के व्यक्तियों को मामूली शुल्क पर सुविधाओं का उपयोग करने में सक्षम बनाता है, जिससे खेल और फिटनेस गतिविधियों में व्यापक सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा मिलता है। उपयोगकर्ता शुल्क के अलावा, यह परिसर स्थानीय, जिला और राज्य-स्तरीय खेल आयोजनों के आयोजन स्थल के रूप में भी काम करेगा, जो एथलीटों, आगंतुकों और दर्शकों को आकर्षित करेगा - जिससे आयोजन पंजीकरण, प्रायोजन और सहायक सेवाओं जैसे कि फूड स्टॉल और पार्किंग के माध्यम से राजस्व में और वृद्धि होगी। दिन-प्रतिदिन के संचालन और आयोजन की मेजबानी से होने वाली संयुक्त आय परिचालन और रखरखाव लागतों को कवर करने में महत्वपूर्ण योगदान देगी, जिससे राज्य के खजाने पर आवर्ती बोझ डाले बिना परिसर की दीर्घकालिक वित्तीय व्यवहार्यता सुनिश्चित होगी। यह दृष्टिकोण सामाजिक समावेशन और वित्तीय जिम्मेदारी दोनों को बढ़ावा देता है, साथ ही क्षेत्र में एक जीवंत खेल संस्कृति के विकास को प्रोत्साहित करता है।

इस परियोजना से स्थानीय आबादी और आसपास के क्षेत्रों को दीर्घकालिक लाभ मिलने की उम्मीद है। निजी भूमि का अधिग्रहण और उसके बाद खेल परिसर का निर्माण पूरा होना एक स्पष्ट सार्वजनिक उद्देश्य की पूर्ति करेगा और क्षेत्र के सामाजिक और अवसंरचनात्मक विकास में योगदान देगा।

परियोजना के कार्यान्वयन में किसी भी प्रकार की देरी से परियोजना की कुल लागत में वृद्धि होने की संभावना है, जिससे राज्य सरकार और स्थानीय समुदायों, दोनों पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा। इसके अलावा, परियोजना को स्थगित करने से पहले से निवेशित जनशक्ति और संसाधनों का अकुशल उपयोग होगा।

तदनुसार, प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण से जुड़ी सामाजिक लागतों और लाभों का आकलन इस धारणा के तहत किया गया है कि न तो परियोजना का स्थान और न ही अधिग्रहित की जाने वाली भूमि की सीमा में कोई बदलाव होगा। यह दृष्टिकोण परियोजना के दीर्घकालिक मूल्य और आवश्यकता का यथार्थवादी मूल्यांकन सुनिश्चित करता है।

7.2 कम विस्थापन वाले विकल्प और न्यूनतम भूमि आवश्यकता

खेल परिसर के निर्माण के लिए केवल 7561-06 वर्ग डेसी मीटर निजी भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है। यह एक न्यूनतम क्षेत्र है, जिसे स्थानीय समुदाय के विस्थापन और व्यवधान को न्यूनतम रखने के लिए सावधानीपूर्वक चुना गया है। परियोजना की सफलता के लिए भूमि अधिग्रहण आवश्यक है, क्योंकि यह बुनियादी ढाँचे के विकास के लिए आवश्यक आधारभूत स्थान प्रदान करता है। इस अधिग्रहण के बिना, कौशल विकास, शारीरिक फिटनेस और खेल कौशल में अपेक्षित वृद्धि प्राप्त करने के लिए आवश्यक आधुनिक सुख-सुविधाएँ स्थापित करना असंभव होगा। परियोजना में भूमि के कुशल उपयोग को प्राथमिकता दी गई है, जिससे न्यूनतम प्रभाव के साथ अधिकतम लाभ सुनिश्चित होता है।

7.3 सामाजिक प्रभावों की प्रकृति और तीव्रता

यदि कोई प्रभाव स्थायी प्रकृति का है, तो निर्माण के बाद के चरण में उसकी तीव्रता निर्माण-पूर्व/निर्माण चरण जितनी ही होगी। दूसरी ओर, अस्थायी प्रभावों में परियोजना चक्र के बाद के चरणों में तीव्रता में निरंतर कमी देखी जाएगी। निर्माण चरण के बाद भी बने रहने वाले किसी भी प्रभाव को दीर्घकालिक प्रभाव माना जाता है और यदि यह केवल निर्माण चरण तक ही बना रहता है, तो इसे अल्पकालिक प्रभाव माना जाता है।

नीचे दी गई तालिका परियोजना चक्र के विभिन्न चरणों के दौरान विभिन्न पहचाने गए प्रभावों की प्रकृति और तीव्रता को दर्शाती है:

तालिका 7-1: प्रभावों की प्रकृति और तीव्रता

प्रभाव क्षेत्र	प्रभाव की पहचान	परियोजना का चरण	प्रभाव की प्रकृति	प्रभाव की तीव्रता
सामाजिक	मुआवजा प्राप्त करने के लिए हितधारकों के बीच विवाद	पूर्व निर्माण	अस्थायी	लघु अवधि
	श्रमिकों और वाहनों की आवाजाही के कारण परियोजना प्रभावित परिवारों के दैनिक जीवन में व्यवधान उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि परियोजना प्रभावित परिवार उस भवन में रह रहा है जो स्थल के निकट है।	निर्माण चरण	अस्थायी	लघु अवधि
भूमि/संरचना	भूमि का नुकसान	निर्माण चरण	स्थायी	दीर्घकालिक
	पीएपी के लिए आश्रय का नुकसान	निर्माण चरण	स्थायी	दीर्घकालिक
	कृषि कार्यों के लिए सीधे भूमि पर निर्भर लोगों के लिए आजीविका के विकल्प का नुकसान	निर्माण चरण	स्थायी	दीर्घकालिक
	निर्माण गतिविधि और उत्खनन के कारण वायु और ध्वनि प्रदूषण का स्तर बढ़ गया है।	निर्माण चरण	अस्थायी	लघु अवधि

7.4 सुझाए गए शमन उपायों की व्यवहार्यता

पुनर्वास योजनाएँ आरटीएफसीटीएलएआरआर अधिनियम, 2013 और हिमाचल प्रदेश आरटीएफसीटीएलएआरआर नियम, 2015 तथा नवीनतम पुनर्वास एवं पुनर्वास नीति के अनुसार तैयार की जानी चाहिए।

परियोजना प्राधिकारियों को सहमत कार्यान्वयन अवधि के भीतर भूमि अधिग्रहण की लागत (मुआवजा और आय बहाली उपायों सहित) को पूरा करने के लिए पर्याप्त बजटीय सहायता पूरी तरह से प्रतिबद्ध और उपलब्ध करानी चाहिए।

युवा सेवा एवं खेल विभाग द्वारा नियोजित बहुउद्देशीय खेल परिसर में: 8-लेन वाला स्विमिंग पूल, एक शूटिंग रेंज और कुश्ती, मुक्केबाजी, कबड्डी, योग, टेबल टेनिस और बैडमिंटन जैसे खेलों के लिए समर्पित स्थान होंगे। आवासीय और व्यावसायिक संपत्तियों से इसकी निकटता को देखते हुए, संभावित व्यवधानों और पर्यावरणीय प्रभावों को कम करने के लिए निर्माण चरण के दौरान सावधानी बरतना अत्यंत आवश्यक है:

पर्यावरणीय और सामाजिक सुरक्षा उपाय

- वर्षा जल प्रबंधन: आस-पास के आवासीय और व्यावसायिक क्षेत्रों में जल संचय को रोकने के लिए, वैज्ञानिक रूप से डिज़ाइन की गई जल निकासी प्रणाली लागू की जानी चाहिए। इससे वर्षा जल और सतही अपवाह का सुरक्षित प्रवाह सुनिश्चित होगा, जिससे बाढ़ और जलभराव का खतरा कम होगा।

- वायु गुणवत्ता नियंत्रण: निर्माण वाहनों और मशीनरी से निकलने वाले उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए प्रभावी उपाय अपनाए जाने चाहिए। नियमित निगरानी और पर्यावरणीय मानकों का कड़ाई से पालन परियोजना स्थल और उसके आसपास वायु प्रदूषण को कम करने में मदद करेगा।

- सामग्री प्रबंधन: निर्माण सामग्री की सुरक्षित लोडिंग और अनलोडिंग के लिए व्यवस्थित प्रणालियाँ स्थापित की जानी चाहिए, जिससे आसपास के क्षेत्र में धूल, ध्वनि प्रदूषण और वाहनों की भीड़भाड़ को कम करने में मदद मिलेगी।

उचित योजना और वैज्ञानिक तरीकों के माध्यम से इन सुरक्षा उपायों को शामिल करके, परियोजना सामुदायिक आवश्यकताओं और पर्यावरणीय अखंडता के साथ संतुलन बनाए रखते हुए कुशलतापूर्वक आगे बढ़ सकती है।

पुनर्वास और मुआवज़ा उपाय

पुनर्स्थापन योजना को भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित मुआवज़ा और पारदर्शिता का अधिकार (आरएफसीटीएलएआरआर) अधिनियम, 2013, हिमाचल प्रदेश आरएफसीटीएलएआरआर नियम, 2015 और नवीनतम पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन (आर एंड आर) नीतियों के प्रावधानों का पालन करना होगा। यह आवश्यक है कि परियोजना प्राधिकरण निर्धारित कार्यान्वयन अवधि के भीतर मुआवज़ा, पुनर्वास और आय बहाली उपायों सहित भूमि

अधिग्रहण से संबंधित सभी लागतों को कवर करने के लिए पर्याप्त बजटीय प्रावधान पूरी तरह से प्रतिबद्ध और उपलब्ध कराएँ।

यदि अपेक्षित निकाय और राज्य सरकार परियोजना प्रभावित व्यक्तियों (पीएपी) और व्यापक समुदाय को होने वाले नुकसान को दूर करने के लिए समय पर और उचित उपाय करते हैं, तो परियोजना के दीर्घकालिक विकासात्मक लाभ इसकी अल्पकालिक सामाजिक लागतों से अधिक होने की उम्मीद है, जो क्षेत्र की प्रगति और कल्याण में सकारात्मक योगदान देगा।

7.4.1 अंतिम अनुशंसा

ढोली घरना, नादौन, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश में बहुउद्देशीय खेल परिसर के निर्माण हेतु 7561-06 वर्ग डेसी मीटर निजी भूमि के प्रस्तावित अधिग्रहण का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन किया गया है। परियोजना के पैमाने और लाभों को ध्यान में रखते हुए, यह निष्कर्ष निकाला गया है कि इस भूमि की आवश्यकता बहुत कम है और इस पहल के सफल कार्यान्वयन के लिए आवश्यक है। भूमि का यह छोटा सा क्षेत्र, जो सावधानीपूर्वक चुना गया है, नियोजित बुनियादी ढाँचे के विकास के लिए महत्वपूर्ण है, जिसमें 8-लेन स्विमिंग पूल, एक शूटिंग रेंज और कुश्ती, मुक्केबाजी, कबड्डी, योग, टेबल टेनिस और बैडमिंटन जैसे खेलों के लिए समर्पित स्थान और अन्य खेल सुविधाएँ शामिल हैं, जो खेल क्षेत्र, क्षमता और आर्थिक विकास को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाएँगी।

इस परियोजना के लाभ बहुआयामी हैं, जिनमें रोज़गार के अवसर पैदा करना, स्थानीय व्यवसायों को बढ़ावा देना, राज्य के राजस्व में वृद्धि और हिमाचल प्रदेश के खेल क्षेत्र में नादौन को एक प्रमुख केंद्र के रूप में रणनीतिक रूप से स्थापित करना शामिल है। ये परिणाम सतत और समावेशी क्षेत्रीय विकास के व्यापक लक्ष्यों के अनुरूप हैं।

हालाँकि, यह अनुशंसा की जाती है कि अधियाचना निकाय संभावित प्रभावों को कम करने और स्थानीय समुदाय के साथ सामंजस्य बनाए रखने के लिए निम्नलिखित सुनिश्चित करे:

पर्यावरणीय और सामुदायिक प्रभाव न्यूनीकरण:

- निर्माण चरण के दौरान तूफानी जल और सतही अपवाह के प्रबंधन हेतु उचित वैज्ञानिक व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि आस-पास के आवासीय और व्यावसायिक क्षेत्रों में जल जमाव को रोका जा सके।
- निर्माण वाहनों और उपकरणों से होने वाले उत्सर्जन को नियंत्रित करने के उपाय लागू किए जाने चाहिए, ताकि वायु गुणवत्ता मानकों को बनाए रखा जा सके।
- शोर, धूल और व्यवधान को कम करने के लिए निर्माण सामग्री की लोडिंग और अनलोडिंग के लिए सुरक्षित और कुशल प्रणालियाँ स्थापित की जानी चाहिए।

मुआवज़ा और कानूनी अनुपालन:

- प्रभावित भूमि मालिक को कानूनी और नियामक आवश्यकताओं के अनुसार उचित और पर्याप्त मुआवज़ा प्रदान किया जाना चाहिए।

- असहमत संपत्ति मालिक श्री लाल चंद, जिन्होंने माननीय न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है, द्वारा उठाई गई चिंताओं का समाधान पारदर्शी तरीके से और न्यायिक निर्देशों के अनुपालन में किया जाना चाहिए।

निष्कर्षतः, इस परियोजना से क्षेत्र को होने वाले महत्वपूर्ण लाभों के मद्देनज़र 7561-06 वर्ग डेसी मीटर निजी भूमि का अधिग्रहण उचित है। उचित शमन उपायों और न्यायसंगत मुआवज़े के साथ, इस परियोजना को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित किया जा सकता है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि इसके सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभावों को न्यूनतम रखते हुए इसके लाभ प्राप्त हों। विकास और स्थिरता के बीच यह संतुलन हिमाचल प्रदेश में भविष्य की परियोजनाओं के लिए एक मज़बूत मिसाल कायम करेगा।

अध्याय-8

सामाजिक प्रभाव प्रबंधन योजना

यहाँ प्रस्तुत सामाजिक प्रभाव प्रबंधन योजना, खेल परिसर के निर्माण से उत्पन्न होने वाले प्रतिकूल सामाजिक प्रभावों को कम करने, प्रबंधित करने और निगरानी करने के लिए डिज़ाइन की गई है। इस योजना का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि परियोजना प्रभावित समुदायों के लिए व्यवधानों को न्यूनतम रखे और साथ ही सभी हितधारकों के लिए समान परिणामों को बढ़ावा दे। परियोजना से प्रभावित गाँवों के परियोजना प्रभावित परिवारों के लिए मुआवज़ा भूमि अधिग्रहण, पुनर्वासन और पुनर्स्थापन अधिनियम, 2013 और भूमि अधिग्रहण, पुनर्वासन और पुनर्स्थापन में उचित मुआवज़े का अधिकार (हिमाचल प्रदेश) नियम, 2015 के आधार पर निर्धारित किया जाना प्रस्तावित है।

8.1 प्रभावों से बचने, उन्हें कम करने और क्षतिपूर्ति करने के उपाय

यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रस्तावित परियोजना का कार्यान्वयन समुदाय और पर्यावरण पर न्यूनतम प्रतिकूल प्रभावों के साथ हो, एक व्यापक रणनीति विकसित की गई है जिसमें परिहार, शमन, क्षतिपूर्ति और निगरानी के उपाय शामिल हैं। इन कदमों का उद्देश्य उत्तरदायी विकास के सिद्धांतों को बनाए रखना और प्रभावित हितधारकों के अधिकारों और कल्याण की रक्षा करना है।

1. परिहार के उपाय

- अनुकूलित भूमि उपयोग: अधिग्रहण अनिवार्य 7561-06 वर्ग डेसी मीटर तक ही सीमित रहेगा, जिससे निजी भूमि जोतों में न्यूनतम व्यवधान सुनिश्चित होगा।
- संवेदनशील परियोजना डिज़ाइन: आस-पास की आवासीय और व्यावसायिक संरचनाओं में हस्तक्षेप से बचने और भौतिक और सामाजिक व्यवधानों को कम करने के लिए लेआउट और निर्माण गतिविधियों की सावधानीपूर्वक योजना बनाई जाएगी।

2. शमन उपाय

- पर्यावरणीय सुरक्षा उपाय: आस-पास के क्षेत्रों में जल संचयन और संबंधित समस्याओं को रोकने के लिए वैज्ञानिक रूप से डिज़ाइन किए गए तूफानी जल और सतही अपवाह प्रबंधन प्रणालियों का कार्यान्वयन।
- पर्यावरणीय क्षरण को सीमित करने के लिए पर्यावरण-अनुकूल निर्माण सामग्री और प्रथाओं को अपनाना।
- वायु और ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण: परिवहन और भंडारण के दौरान धूल नियंत्रण तकनीकों का उपयोग, जैसे पानी का छिड़काव और सामग्री को ढकना।
- अनुमत घंटों के भीतर शोर वाली निर्माण गतिविधियों का समय निर्धारण और स्थानीय निवासियों पर प्रभाव को कम करने के लिए कम शोर वाली मशीनरी का उपयोग।

- सुरक्षा प्रोटोकॉल: जनता और श्रमिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए निर्माण क्षेत्र के चारों ओर बैरिकेड्स, चेतावनी संकेत और प्रकाश व्यवस्था लगाना।
- कार्यान्वयन के दौरान सुरक्षा जोखिमों की पहचान करने और उन्हें कम करने के लिए नियमित रूप से साइट पर निगरानी।

3. मुआवज़ा उपाय

- उचित और पारदर्शी मुआवज़ा: लागू कानूनी ढाँचों (आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम, 2013 और हिमाचल प्रदेश नियम, 2015) के अनुसार भूमि मालिकों को समय पर और पर्याप्त वित्तीय मुआवज़ा प्रदान करना।
- जहाँ आवश्यक हो, विस्थापित या आर्थिक रूप से प्रभावित व्यक्तियों के पूर्ण पुनर्वास को सुनिश्चित करने के लिए वैकल्पिक भूमि या आजीविका सहायता प्रदान की जाएगी।
- सामुदायिक सहभागिता और समर्थन: परियोजना कार्यान्वयन के दौरान स्थानीय आबादी को सूचित करने और उनसे परामर्श करने के लिए स्पष्ट संचार माध्यमों की स्थापना।
- दीर्घकालिक सामाजिक-आर्थिक लाभ सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय रोज़गार के अवसरों का सृजन और समुदाय-आधारित उद्यमों के लिए समर्थन।

4. निगरानी और अनुपालन

- पर्यावरण, सामाजिक और मुआवज़ा संबंधी प्रतिबद्धताओं के पालन की निगरानी के लिए एक स्वतंत्र निगरानी एजेंसी की नियुक्ति।
- शमन रणनीतियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने और आवश्यक समायोजन करने के लिए निर्माण के दौरान और उसके बाद आवधिक प्रभाव आकलन करना।

इन व्यापक उपायों को लागू करके, परियोजना प्रतिकूल प्रभावों को कम करने, समावेशी विकास को बढ़ावा देने और सामुदायिक लचीलेपन को बढ़ाने का प्रयास करती है, जिससे बुनियादी ढाँचे के विकास और सामाजिक उत्तरदायित्व के बीच एक संतुलित दृष्टिकोण सुनिश्चित होता है।

8.2 अधिनियम 2013 के अनुसार पुनर्वास एवं पुनर्वास तथा मुआवज़े में शामिल उपाय

यह सामाजिक प्रभाव आकलन रिपोर्ट, भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया शुरू करने और सार्वजनिक परामर्श एवं सर्वेक्षणों के दौरान परियोजना प्रभावित परिवारों एवं अन्य हितधारकों द्वारा व्यक्त की गई आकांक्षाओं के अनुसार कार्य योजना तैयार करने में, इच्छुक निकाय के लिए लाभदायक होगी। अध्ययन के निष्कर्षों के आलोक में, अपेक्षित सामाजिक प्रभावों को कम करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा सकते हैं।

तालिका 8-1: पहचाने गए प्रभाव और संबंधित शमन उपाय

क्रम संख्या	मूल्यांकित प्रभाव	सुझाए गए शमन उपाय
1	निजी भूमि का नुकसान.	आरटीएफसीटीएलएआरआर अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार शीर्षक धारकों और हितधारकों को उचित मुआवज़ा

2	आवासीय और वाणिज्यिक संरचनाओं जैसे अधिग्रहण के कारण निजी परिसंपत्तियों का नुकसान।	आरटीएफसीटीएलएआरआर अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार शीर्षक धारकों और हितधारकों को उचित मुआवजा
3	पीएपी के अधिग्रहण के कारण होने वाली असुविधा	आरटीएफसीटीएलएआरआर अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार शीर्षक धारकों और हितधारकों को उचित मुआवजा
4	सर्किल दरों में संशोधन	जिला कलेक्टर और अधियाचक निकाय के निर्णय के अनुसार
5	विस्थापित परिवारों और व्यक्तियों के लिए अधिग्रहण के कारण होने वाली असुविधा	प्रभावित भूमि मालिकों और हितधारकों को आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार उचित और पर्याप्त मुआवजा प्रदान किया जाएगा, ताकि उन्हें नए स्थल पर स्थानांतरित करने और नए आवासीय ढांचे के निर्माण में सहायता मिल सके।
6	भूमि पर निर्भर रोजगार/आय/आजीविका का नुकसान।	आरटीएफसीटीएलएआरआर अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार शीर्षक धारकों और हितधारकों को उचित मुआवजा
7	पर्यावरण प्रदूषण और वाहन यातायात	पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने के लिए एक प्रबंधन योजना का विकास और कार्यान्वयन, अर्थात् ध्वनि यातायात धूल के बढ़े हुए स्तर को अनुमेय सीमा के भीतर रखने के लिए, स्थानीय लोगों के परामर्श से किया जा सकता है। - धूल नियंत्रण: धूल उत्सर्जन को कम करने और वायु गुणवत्ता को अनुमेय सीमा के भीतर बनाए रखने के लिए निर्माण चरण के दौरान नियमित रूप से पानी का छिड़काव किया जाना चाहिए। - वर्षा जल और अपवाह प्रबंधन: वर्षा जल और सतही अपवाह के सुरक्षित और कुशल मार्ग को सुनिश्चित करने के लिए एक वैज्ञानिक रूप से डिज़ाइन की गई जल निकासी प्रणाली स्थापित की जानी चाहिए, जिससे जलभराव और मृदा अपरदन को रोका जा सके। - अपशिष्ट प्रबंधन: उत्खनित सभी मलबे और निर्माण मलबे का निपटान निर्दिष्ट डंपिंग स्थलों पर जिम्मेदारी से किया जाना चाहिए, ताकि पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में अनधिकृत डंपिंग से बचा जा सके।

		- प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण: यह सुनिश्चित करने के लिए सख्त उपाय किए जाने चाहिए कि निर्माण या संचालन के किसी भी चरण के दौरान कोई भी जल निकासी लाइनें अवरुद्ध या बाधित न हों, और आसपास के जंगलों, जल निकायों, पेड़ों या वनस्पतियों को कोई नुकसान न हो। - यातायात और सड़क सुरक्षा: परिसर से मुख्य सड़क तक आने वाले यातायात का प्रबंधन भीड़भाड़ को रोकने और वाहनों के सुचारु प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए किया जाना चाहिए। यातायात को दिशा देने और दुर्घटनाओं को रोकने के लिए स्पष्ट और दृश्यमान संकेत लगाना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त, सार्वजनिक यातायात में व्यवधान से बचने और सुरक्षित प्रवेश और निकास सुनिश्चित करने के लिए मुख्य सड़क तक एक समर्पित और सुरक्षित पहुँच मार्ग विकसित किया जाना चाहिए।
--	--	--

8.3 एसआईएमपी कार्यान्वयन हेतु परिव्यय

परियोजना प्रभावित परिवारों पर लागू कानूनी प्रावधानों के आधार पर, पात्रता ढाँचे और पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन प्रक्रिया की रूपरेखा नीचे दी गई है। भारत सरकार और हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा स्थापित प्रासंगिक कानूनों, नियमों और नीतियों के अनुसार एक पात्रता मैट्रिक्स तैयार किया गया है। यह मैट्रिक्स भूमि अधिग्रहण के कारण होने वाले संभावित नुकसानों का एक व्यापक सारांश प्रदान करता है और संबंधित पात्रताओं की रूपरेखा प्रस्तुत करता है, जिसमें प्रभावित व्यक्तियों को प्रदान की जाने वाली सहायता की प्रकृति, दायरा और सीमा का विवरण दिया गया है।

क्र.सं	प्रभाव श्रेणी	पात्रता की इकाई	पात्रता का विवरण	टिप्पणी
भूमि स्वामियों कि संपत्ति की हानि				
1	निजी भूमि	भूमि स्वामी/शीर्षकधारक	(क) भूमि के लिए बाजार मूल्य पर नकद मुआवज़ा, जो आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित किया जाएगा। ख) खोई हुई संपत्तियों के प्रतिस्थापन हेतु मुआवज़े की राशि पर वर्तमान स्टाम्प शुल्क के बराबर राशि। प्रशिक्षण सहायता। ग) बारहमासी और गैर-बारहमासी फसलों और पेड़ों के नुकसान की भरपाई बागवानी	

			और कृषि विभाग के प्रावधानों के अनुसार की जाएगी। घ) मुर्गीपालन के प्रतिस्थापन हेतु 25,000 रुपये का अनुदान।	
2	संरचना का नुकसान (आवासीय, पानी की हौदी)	भूमि मालिक/शीर्षक धारक	क) स्वीकार्य मानदंडों के अनुसार वर्तमान दरों के आधार पर निर्धारित नकद मुआवज़ा ख) विस्थापित परिवारों के लिए आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार 50,000 रुपये का स्थानांतरण भत्ता ग) पूरी तरह से विस्थापित आवासीय परिसर के लिए आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम, 2013 के अनुसार निःशुल्क आवास का प्रावधान या निर्मित आवास के बदले आवास की समतुल्य लागत की पेशकश की जा सकती है घ) विस्थापित परिवारों के लिए 36,000 रुपये का निर्वाह भत्ता (आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम, 2013) विस्थापित परिवारों के लिए 50,000 रुपये का पुनर्वास भत्ता (आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम, 2013)	
3	किरायेदार और पट्टा धारक	किरायेदारों और पट्टा धारकों	पंजीकृत पट्टेदार, लागू स्थानीय कानूनों के अनुसार संरचना स्वामी को देय मुआवजे के विभाजन के हकदार होंगे।	
आजीविका का नुकसान				
5	आजीविका का नुकसान	(व्यक्तिगत / परिवार)	25,000 रुपये का एकमुश्त अनुदान (आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम 2013 के तहत निर्धारित मूल्य)	
6	निर्माण चरण के दौरान संभावित और अप्रत्याशित प्रभाव	स्वामी, प्रभावित व्यक्ति	यदि किसी संरचना को कोई क्षति हुई है तो उसका भुगतान किया जाएगा, तथा जहां भी आवश्यक होगा अस्थायी पहुंच प्रदान की जाएगी।	जैसे कि संरचनाओं पर अस्थायी प्रभाव, पहुंच या मार्ग में अस्थायी व्यवधान
	बिजली के खंभे	बिजली बाधित, ग्रामीणों की दिनचर्या प्रभावित	परियोजना कार्य के दौरान बिजली की वैकल्पिक व्यवस्था की जानी चाहिए।	
	पेड़	आय का स्रोत, लकड़ी की कमी। रोजगार का अभाव, हरियाली का	अन्य स्थानों पर पौधे लगाने के लिए कांटेदार तार की बाड़ लगाई जानी चाहिए।	

		हास, छाया का हास, प्रदूषण बढ़ेगा। ईंधन/लकड़ी का हास। पौष्टिक फलों का हास।	पौधों को उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए। निःशुल्क पौधे दिए जाने चाहिए। पौधे लगभग 5 से 10 वर्षों में तैयार होते हैं, इस बीच पौधों और फलों को हुए नुकसान का मुआवजा दिया जाना चाहिए।	
7	निर्माण	ट्रैफिक से भीड़ बढ़ी	यातायात प्रबंधन योजनाएँ, वैकल्पिक मार्ग बनाए जाने चाहिए	
8		चल रही निर्माण गतिविधियों से होने वाला शोर, धूल और वायु प्रदूषण	धूल दमन प्रणाली, शोर अवरोधक और नियमित निगरानी जैसे शोर और धूल नियंत्रण उपायों का कार्यान्वयन किया जाना चाहिए।	
9		स्थानीय लोगों के लिए अस्थायी रोजगार	स्थानीय श्रमिकों की नियुक्ति और स्थानीय स्तर पर सामग्री की आपूर्ति को प्राथमिकता देना	
10	निर्माण के बाद या परिचालन	खेल गतिविधियों, आयोजनों और संबंधित वाणिज्यिक गतिविधियों को बढ़ाकर स्थानीय अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करना	आर्थिक प्रभावों की नियमित निगरानी और समावेशी विकास रणनीतियों को अपनाया जाना चाहिए	
11		दीर्घकालिक बुनियादी ढांचे का रखरखाव	रखरखाव की जरूरत है	

सन्दर्भ

1. <https://himachal.nic.in/en-IN/index.html>.

2. पिछली रिपोर्ट से सहायता

Social Impact Assessment Study Draft Report in respect of Construction of Tourist complex village seri, district Hamirpur HP. (Eng.)_

[SIA Draft report r/o Greenfield International Airport Mandi HP\(English\)](#)

3. <https://hphamirpur.nic.in/tourist-place/nadaun/>

4. <https://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://pmksy.gov.in/mis/Uploads/2016/20160717071702731-1.pdf>

अनुलग्नक क

भूस्वामियों की सूची

क्रम संख्या	भूस्वामियों का नाम	मोबाइल नंबर	खसरा संख्या	माप
1	श्री शुभाष चंद पुत्र बाबु राम	9873287394	437/1	109.51 वर्ग डेसी मीटर
2	श्री संजय कुमार पुत्र बाबु राम	8287789224		109.51 वर्ग डेसी मीटर
3	श्रीमती ब्राह्मणी देवी पत्नी बाबु राम	9873287394		43.80 वर्ग डेसी मीटर
4	श्री मनोज कुमार पुत्र स्व. निपपू राम	9882006909		197.11 वर्ग डेसी मीटर
5	श्रीमती कृष्णा देवी पत्नी स्व. निपपू राम	8894611150		65.70 वर्ग डेसी मीटर
6	श्री राकेश कुमार पुत्र कृष्ण चंद	9418203285		210.25 वर्ग डेसी मीटर
7	श्रीमती करतार देवी पत्नी कृष्ण चंद	9418203285		52.56 वर्ग डेसी मीटर
8	श्री केहरू राम पुत्र मंगत राम	9882006909		262.82 वर्ग डेसी मीटर
9	श्री लाल चंद पुत्र चुरु राम	8894789115		525.64 वर्ग डेसी मीटर
10	श्री रमेश कुमार पुत्र चुरु राम	9465858119		525.64 वर्ग डेसी मीटर
11	श्री कृष्ण चंद पुत्र बाबु राम	9459003124	429,561/430/1	440 वर्ग डेसी मीटर
12	डी.ए.वी. स्कूल	7018944516	431/2,432,433/2	2844.05 वर्ग डेसी मीटर
13	श्री सुनील कुमार पुत्र जगदीश लाल अवस्थी	9814707591	312/1	1630.85 वर्ग डेसी मीटर
14	श्री तुषार अवस्थी पुत्र श्री सुनील कुमार	9814707591	559/430/2	543.62 वर्ग डेसी मीटर

अनुलग्नक ख क्षेत्रीय दौरे की तस्वीरें



क्षेत्र भ्रमण



क्षेत्र भ्रमण



क्षेत्र भ्रमण



क्षेत्र भ्रमण



क्षेत्र भ्रमण



प्रभावित तार की दीवार



प्रभावित जल भंडारण टैंक 1



प्रभावित जल भंडारण टैंक 2



वार्ड सदस्य साइट विजिट पर



लालचंद का प्रभावित घर

अनुलग्नक ग सार्वजनिक सुनवाई की तस्वीरें



सार्वजनिक सुनवाई



सार्वजनिक सुनवाई की सूचना



सार्वजनिक सुनवाई



सार्वजनिक सुनवाई



सार्वजनिक सुनवाई

अनुमति पत्र

दिनांक - 11.07.2025
 स्थान - मजिस्ट्रेट ऑफ पीपल्स कोर्ट, अहमदाबाद
 राज - गुजरात

विषय - विवादित भूखंड जमीन के संबंध में विवादित भूखंड के मालिकों के बीच होने वाले विवाद के संबंध में जमीन मालिकों को अनुमति पत्र जारी करने के लिए।

अनुमति पत्र - अनुमति पत्र जारी करने के लिए जमीन मालिकों को 11.07.2025 के दिनांक पर उपस्थित होना आवश्यक है।

क्र.सं.	नाम	पता	संपर्क नं.	हस्ताक्षर
01	Surendra Kumar	Dr. P. K. School	986001981	[Signature]
02	Vikram Chaud	Dr. P. K. School	986001981	[Signature]
03	Rajiv Kumar	Dr. P. K. School	986001981	[Signature]
04	Rajiv Kumar	Dr. P. K. School	986001981	[Signature]

1	Dr. P. K. School	Dr. P. K. School	986001981	[Signature]
2	Dr. P. K. School	Dr. P. K. School	986001981	[Signature]
3	Dr. P. K. School	Dr. P. K. School	986001981	[Signature]
4	Dr. P. K. School	Dr. P. K. School	986001981	[Signature]
5	Dr. P. K. School	Dr. P. K. School	986001981	[Signature]
6	Dr. P. K. School	Dr. P. K. School	986001981	[Signature]
7	Dr. P. K. School	Dr. P. K. School	986001981	[Signature]
8	Dr. P. K. School	Dr. P. K. School	986001981	[Signature]
9	Dr. P. K. School	Dr. P. K. School	986001981	[Signature]
10	Dr. P. K. School	Dr. P. K. School	986001981	[Signature]
11	Dr. P. K. School	Dr. P. K. School	986001981	[Signature]
12	Dr. P. K. School	Dr. P. K. School	986001981	[Signature]
13	Dr. P. K. School	Dr. P. K. School	986001981	[Signature]
14	Dr. P. K. School	Dr. P. K. School	986001981	[Signature]
15	Dr. P. K. School	Dr. P. K. School	986001981	[Signature]
16	Dr. P. K. School	Dr. P. K. School	986001981	[Signature]
17	Dr. P. K. School	Dr. P. K. School	986001981	[Signature]
18	Dr. P. K. School	Dr. P. K. School	986001981	[Signature]
19	Dr. P. K. School	Dr. P. K. School	986001981	[Signature]
20	Dr. P. K. School	Dr. P. K. School	986001981	[Signature]

सार्वजनिक सुनवाई की उपस्थिति पत्रक

To

The Sub Divisional Collector,
Nadaun, District Hamirpur (H.P.)

Subject: *Representation against Illegal Revenue Entries and Objection to Acquisition of Land for Proposed Indoor Stadium at Nadaun without Consent or Compensation to Rightful Owners i.e. applicants and other right full owners.*

Respected Sir,

The undersigned applicants most respectfully submit the following for your kind consideration :-

1. That the applicants are the lawful and rightful owners in peaceful possession of land comprised in Khata No. 74, Khatauni No. 80, Khairi Nos. 428, 431, 432, and 433, measuring 3859.90 square meters, as per the *Jamabandi* for the year 2021-22 of Mohal Doli Gharanu, Morcha Kohla, Tehsil Nadaun, District Hamirpur (H.P.).
2. That the land in question originally belonged to Shri Govind, son of Shri Ganesh, resident of Village Doli Gharanu, Morcha Kohla, who is the predecessor-in-interest of the present applicants.
3. That around the year 1922, one Shri Tegumal, son of Dhama, approached Shri Govind seeking land for establishing a DAV School. Shri Govind conditionally agreed to an oral gift of 10 Kanal 1 Marla, clearly stipulating that if no school is constructed, the land

shall revert to him.

4. That based on this conditional oral gift, Mutation No. 18 dated 05.01.1922 was entered in the revenue records, with the condition of reversion explicitly noted in the remarks column. However, no school was ever constructed, and possession has continuously remained with Shri Govind and now with his legal heirs, including the present applicants.

5. That the said oral gift was never registered and hence holds no legal validity under Section 123 of the *Transfer of Property Act, 1882*. It did not create any legal title or ownership rights in favour of Dayanand Anglo Vedic (DAV) Vidyalaya, Nadaun. In fact, there exists no such DAV Vidyalaya at Nadaun, Tehsil Nadaun District Hamirpur (H.P.).

6. That the entries made in the revenue record under Mutation No. 18, showing the name of DAV School, are illegal, null, and void, being based on an unregistered, conditional, and unfulfilled oral gift. The condition precedent — i.e., construction of a school — was never met, not during Shri Govind's lifetime nor thereafter. Even after over 100 years, no school stands constructed on the said land. Consequently, the land reverted back to the donor and now lawfully vests with the applicants as legal heirs. Thus, the revenue entries require necessary correction.

सार्वजनिक सुनवाई में शिकायत

7. That at no point in time has any authorized person from DAV School ever been in possession of the said land. The applicants have retained continuous and peaceful possession since the time of their predecessor.

8. That the false and illegal entries in favour of Dayanand Anglo Vedic Vidyalaya are contrary to ground realities and legal provisions. The said land is now wrongfully lying considered for acquisition for the construction of an Indoor Stadium at Nadaun, which has caused grave prejudice and anxiety to the applicants.

9. That the applicants strongly object to any proposed acquisition of the said land unless the revenue entries are lawfully corrected and due compensation is paid to the rightful owners — the applicants. The DAV School has no legal right, title, or possession and is therefore not entitled to any compensation in the event of acquisition.

10. In light of the above, the applicants most humbly request your good self to kindly:-

- Reject any ongoing or proposed land acquisition proceedings until ownership is legally settled.
- Direct correction of the revenue entries by removing the name of DAV School and restoring the names of the applicants in the ownership

column.

- Ensure that no acquisition of the land is carried out without consent and without awarding lawful compensation to the actual landowners, i.e., the applicants.

PRAYER

It is, therefore, most respectfully prayed that:-

1. The revenue entries in favour of Dayanand Anglo Vedic Vidyalaya, Nadaun may kindly be declared illegal and void;
2. The names of the applicants may be ordered to be recorded in the ownership column of the revenue record;
3. The proposed acquisition for the Indoor Stadium may be stayed and not proceeded with unless due compensation is paid to the rightful owners.

The applicants shall ever remain grateful for your just, fair, and timely intervention in the matter. Thanking you in anticipation,

Yours faithfully,

1. Ramesh Kumar
2. Lal Chand
3. Subhash Chand
3. Sustma Devi

Ramesh Kumar
→ *Subhash Chand*
Lal Chand
→ *Sustma Devi*

सार्वजनिक सुनवाई में शिकायत

अनुलग्नक घ

परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण से प्रभावित गांवों में सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन, प्रभावित परिवारों के लिए अनुसूची

District:

Tehsil.....

Village.....

General details:

1.1 Name of landowner Father's name.....

1.2 Name of interviewee Relationship with landowner.....

1.3 Reasons for landowner not giving interview

1.4 Landowner/Plot Owner Mobile Number

1.5 Age (years).....

1.6 Gender: Male Female.....

1.7 Educational Qualification

1. Illiterate, 2. Literate, 3. Primary, 4. Upper Primary, 5. High School, 6. Intermediate, 7. Graduate, 8. Post Graduate, 9. Vocational Education

1.8 Religion: 1. Hindu 2. Muslim 3. Sikh 4. Christian 5. Buddhist 6. Other

1.9 Caste

1.10 Occupation -

Agriculture Own land - 1. Agricultural sharecropping / contract, 2. Agricultural labour, 3. Non-agricultural labour, 4. Job, 5. Small business, 6. Animal husbandry,

2. Social status

2.1 Type of house: 1. Pucca, 2. Kutchha, 3. Mixed, 4. Hut

2.2 Is there electricity connection: Yes..... No

If not, what is the lighting arrangement- (multiple answers)

(kerosene oil, solar light, other)

2.3 Arrangement of drinking water - (multiple answers)

(Water supply through pipe, Desi hand pump, India Mark, two hand pump, other)

2.4 Is there a toilet in your house? Yes..... No.....

If not, where do you go for defecation (multiple answers)

(Code) 1. In the fields, 2. In the forest, 3. Canal side, 4. Railway line side, 5. Road side, 6. Public toilet
7. Others

2.5 Is there a separate kitchen in the house? Yes... No.....

If not, then where do you cook food-

(In the courtyard, in the room, in the open, other)

2.6 Which fuel is used for cooking?

Lpg Gas, kerosene, wood, cow dung cakes, others

3.1 Do you/family have any loan liability from any financial institution or money lender

Yes..... No.....

If yes, purpose of loan (multiple answer) (Please tick mark)

1.For fertilizer and seeds	6. For setting up alternative employment
2.For tractor work	7. For animal husbandry
3. For Pumpset work	8. For consumption
4. For medical treatment	9.For Education
5.For Marriage	10. Others

4. Which ration card do you have?

BPL, eligible household, no ration card

5. How far do your family members go for medical treatment?

..... km

6. Give details of the assets available with your family

Serial No.	Asset Name	Number Only

7. Means of irrigation (multiple answers) (Please tick)

Canal, Government tube well, Private tube well/pump set, rented pump set, pond, well, other

8. Do you know that the land in your village is to be acquired?

Yes/No

9. Which category does the above land belong to? (multiple answer)

1. Highly fertile 2. Fertile

3. Normal 4. Barren

10. Why are you not willingly agreeing to sell the said land? Please tick (multiple answer)

1. There is no tradition in the family to sell ancestral land.....
2. The land is registered in the name of many people.....
3. Other share holders of the land live outside.....
4. Land sale will increase family unemployment.....
5. The source of income will end.....
6. People will have to migrate from the village.....
7. The market value of the land is much higher than the current circle rate.....
8. The dispute regarding the land is pending in the court.....
9. Others.....
- 11.. On what conditions is the land agreed to be sold? Please tick (multiple answer)
1. Compensation should be given at a rate higher than the circle rate.....
2. Land of equal quality and size to that acquired should be provided at some other place.....
3. Permanent employment should be provided under the project.....
4. Physical/financial assistance should be provided for starting alternative employment.....
5. Free technical training should be provided by a recognized institution.....
6. Priority should be given to provide license for starting licensed business.....
12. What will be the benefits of the project?
13. What will be the impact of the project? Please mark the correct answer (multiple answer)
14. Were you aware that a Social Impact Assessment (SIA) was conducted before land acquisition?
 - ☐ Yes
 - ☐ No
15. If yes, how did you get information about the SIA?
 - ☐ Gram Sabha meeting
 - ☐ Government notice
 - ☐ NGO/Civil Society
 - ☐ Media (Newspaper/TV)
 - ☐ Other: _____
16. Were you or your community consulted during the SIA?
 - ☐ Yes
 - ☐ No
17. If yes, did you provide any input or concerns?
 - ☐ Yes

- ☐ No

18. Were public hearings conducted as part of the SIA?

- ☐ Yes

- ☐ No

- ☐ Don't know

19. Do you think the SIA adequately identified the following impacts?(Tick all that apply)

- ☐ Loss of agricultural livelihood

- ☐ Displacement of families

- ☐ Impact on women & vulnerable groups

- ☐ Loss of cultural/religious sites

- ☐ Environmental damage

- ☐ Other: _____

20. Were alternative sites or livelihood options discussed in the SIA?

- ☐ Yes

- ☐ No

- ☐ Partially

21. Were religious/cultural sites affected by the acquisition? If yes, were they protected?

- ☐ Yes

- ☐ No

- ☐ Not applicable

Date.....

Name of the investigator.....